

परिशिष्ट

**परिशिष्ट 1.1**  
**राज्य का परिदृश्य**  
(संदर्भ: राज्य का परिदृश्य; पृष्ठ 1)

अ. सामान्य आँकड़े			
क्र० सं०	विवरण	आँकड़े	
1	क्षेत्रफल	2,40,928 वर्ग किमी०	
2	जनसंख्या		
	अ. 2011 की जनगणना के अनुसार	19.98 करोड़	
	ब. 2019	23.01 करोड़	
3	अ. जनसंख्या घनत्व (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी०)	690 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी०	
	ब. जनसंख्या घनत्व <sup>1</sup> (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी०)	829 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी०	
4	गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या <sup>2</sup> (बी०पी०एल०) (2011-12) (अखिल भारतीय औसत = 21.9 प्रतिशत)	29.4 प्रतिशत	
5	अ. साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.80 प्रतिशत)	56.27 प्रतिशत	
	ब. साक्षरता <sup>3</sup> (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73 प्रतिशत)	67.7 प्रतिशत	
6	शिशु मृत्युदर <sup>4</sup> (2017) (प्रति 1000 जन्म पर) (अखिल भारतीय औसत = 33 प्रति 1000 जन्म पर)	41 प्रति 1000 जन्म पर	
7	जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा <sup>5</sup> 2012-16 (अखिल भारतीय औसत = 68.7 वर्ष)	64.8 वर्ष	
8	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) वर्तमान मूल्यों पर	₹ 15,42,432 करोड़	
9	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (2011-12 से 2018-19)	उत्तर प्रदेश	9.73 प्रतिशत
		सामान्य श्रेणी राज्य	10.99 प्रतिशत
10	सकल राज्य घरेलू उत्पाद <sup>6</sup> मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (2011-12 से 2018-19)	उत्तर प्रदेश	11.41 प्रतिशत
		सामान्य श्रेणी राज्य	12.23 प्रतिशत
11	दशकीय जनसंख्या वृद्धि <sup>7</sup> (2009 से 2019)	उत्तर प्रदेश	17.50 प्रतिशत
		सामान्य श्रेणी राज्य	12.46 प्रतिशत

<sup>1</sup> सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (एम.ओ.एस.पी.आई.), भारत सरकार वेबसाइट सारणी 2.3 सांख्यिकी वार्षिकांक 2018

<sup>2</sup> इकोनोमिक सर्वे 2018-19, भाग II, पृष्ठ 168 अ 169 सारणी 9.8

<sup>3</sup> इकोनोमिक सर्वे 2018-19, भाग II, पृष्ठ 164 अ सारणी 9.4

<sup>4</sup> इकोनोमिक सर्वे 2018-19, भाग II, पृष्ठ 160 अ सारणी 9.1

<sup>5</sup> इकोनोमिक सर्वे 2018-19, भाग II, पृष्ठ 160 अ सारणी 9.1

<sup>6</sup> 1 अगस्त 2019 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े जारी। वर्ष 2018-19 के लिये कुछ राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड एवं त्रिपुरा के आंकड़े नहीं दिये गये हैं। अतः इन राज्यों के आंकड़े सम्बन्धित प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार से प्राप्त किये गये हैं।

<sup>7</sup> भारत एवं राज्यों के जनसंख्या अनुमान 2001-2016 सारणी 14 (पृष्ठ 104 से 115)।

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

ब. वित्तीय आंकड़े					
क्र० सं०	विवरण	आंकड़े (प्रतिशत में)			
	मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर	2009-10 से 2017-18		2017-18 से 2018-19	
		सामान्य श्रेणी राज्य	उत्तर प्रदेश	सामान्य श्रेणी राज्य	उत्तर प्रदेश
12	क. राजस्व प्राप्तियाँ	15.03	14.19	12.77	18.37
	ख. स्वयं का कर राजस्व	14.84	14.11	12.72	23.34
	ग. करेतर राजस्व	9.88	4.80	19.78	52.06
	घ. कुल व्यय	14.20	13.00	12.73	20.75
	ङ. पूंजीगत व्यय	13.53	5.70	11.93	59.80
	च. शिक्षा पर राजस्व व्यय	13.44	13.99	9.38	3.29
	छ. स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय	16.50	15.17	11.09	7.11
	ज. वेतन एवं मजदूरी	11.72	12.62	11.03	7.35
	झ. पेंशन	16.12	16.85	14.31	14.42

(स्रोत: वित्तीय आंकड़े सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे पर आधारित हैं)

## परिशिष्ट 1.2

## शासकीय लेखे का रूप एवं संरचना तथा वित्त लेखे का प्रारूप

(संदर्भ: प्रस्तर 1.1; पृष्ठ 1)

भाग-अ: शासकीय लेखे का रूप एवं संरचना	
<p><b>शासकीय लेखे की संरचना:</b> राज्य सरकार के लेखे को तीन भागों में रखा गया है (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिकता निधि तथा (iii) लोक लेखे।</p> <p><b>भाग-1 समेकित निधि:</b> राज्य सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियां, ट्रेजरी बिलों के जरिये उगाहे गये समस्त ऋण, आन्तरिक एवं वाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋणों के भुगतान हेतु प्राप्त समस्त धनराशि एक समेकित निधि का गठन करता है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अन्तर्गत गठित 'राज्य की समेकित निधि' नाम से जाना जाता है।</p> <p><b>भाग-2 आकस्मिकता निधि:</b> संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अन्तर्गत राज्य की आकस्मिकता निधि का गठन होता है जो एक प्रकार का अग्रदाय है जिसमें से अति आवश्यक अनपेक्षित व्यय को पूरा करने हेतु अग्रिम लिया जाता है जो राज्यपाल के अधिकार में है। इस प्रकार के व्यय हेतु तथा बाद में इसी के बराबर की धनराशि के समेकित निधि से आहरण हेतु विधायिका की संस्तुति प्राप्त की जाती है, जिससे आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिमों की प्रतिपूर्ति की जाती है।</p> <p><b>भाग-3 लोक लेखे:</b> प्राप्तियों एवं वितरणों से सम्बन्धित कुछ लेनदेनों यथा लघु बचत, भविष्य निधियां, आरक्षित निधि, निक्षेप, उचन्त, प्रेषण इत्यादि जो समेकित निधि के भाग नहीं होते, को संविधान की धारा 266(2) के अन्तर्गत लोक लेखे में रखे जाते हैं एवं वे राज्य विधायिका के द्वारा मतदान का विषय नहीं होते हैं।</p>	
भाग-ब: वित्त लेखे का प्रारूप	
<p>वित्त लेखे दो भागों में विभाजित है। भाग एक सरकार के वित्तीय विवरण के सारांशीकृत रूप में और भाग दो में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाता है। भाग एक में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रमाण-पत्र, 13 सारांश विवरण और लेखे की योजना पर टिप्पणी को सम्मिलित किया जाता है जैसा कि नीचे दिया गया है।</p>	
विवरण सं०	प्रारूप
खण्ड-I	
1	वित्तीय स्थिति का विवरण
2	प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण, अनुलग्नक-अ, रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों के निवेश सहित
3	प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)
4	व्यय का विवरण (समेकित निधि)
5	प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण
6	उधारों और अन्य दायित्वों का विवरण
7	सरकार द्वारा दिए गये ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण
8	सरकार के निवेशों का विवरण
9	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण
10	सरकार द्वारा दिए गये सहायता अनुदानों का विवरण
11	दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण
12	राजस्व लेखे से भिन्न व्ययों के लिए निधियों के स्रोत एवं प्रयोग का विवरण
13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे के अन्तर्गत शेष राशियों का सारांश

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

<b>खण्ड-II</b>	
<b>भाग-I</b>	
14	राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण
15	राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण
16	पूंजीगत व्यय का लघु शीर्षवार तथा उप शीर्षवार विस्तृत विवरण
17	उधार एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण
18	राज्य सरकार द्वारा दिए गये ऋणों एवं अग्रिमों का विस्तृत विवरण
19	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण
20	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण
21	आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखे के लेन-देनों का विस्तृत विवरण
22	उद्दिष्ट शेषों के निवेश का विस्तृत विवरण
<b>भाग-II (परिशिष्ट)</b>	
परिशिष्ट-I	वेतन पर तुलनात्मक व्यय
परिशिष्ट-II	सब्सिडी पर तुलनात्मक व्यय
परिशिष्ट-III	राज्य सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता (संस्थानवार और योजनावार)
परिशिष्ट-IV	वाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण
परिशिष्ट-V	योजनाओं पर व्यय अ. केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाएं एवं केन्द्रीय योजनाएं) ब. राज्य योजनाएं
परिशिष्ट-VI	राज्य में क्रियान्वयन एजेन्सियों को केन्द्रीय योजना निधियों का सीधा अन्तरण (राज्य बजट के बाहर से प्राप्त निधियों) (असंप्रेक्षित आँकड़े)
परिशिष्ट-VII	शेषों की स्वीकृति एवं मिलान (जैसा विवरण संख्या 18 एवं 21 में दर्शाया गया है)
परिशिष्ट-VIII	सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम
परिशिष्ट-IX	सरकार की वचनबद्धता – अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की सूची
परिशिष्ट-X	वेतन एवं गैर वेतन भाग में विभक्त अनुरक्षण व्यय
परिशिष्ट-XI	वर्ष के दौरान सरकार के प्रमुख नीतिगत निर्णय अथवा बजट में प्रस्तावित नई योजनाएं
परिशिष्ट-XII	सरकार की वचनबद्ध देयताएं
परिशिष्ट-XIII	मदें, जिनके लिये राज्यों के मध्य शेषों का विभाजन राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप अन्तिम रूप से नहीं हुआ है

## परिशिष्ट 1.3

वर्ष 2018-19 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(संदर्भ: प्रस्तर 1.2; पृष्ठ 1)

(₹ करोड़ में)

2017-18		प्राप्तियाँ		2018-19		संवितरण		2018-19	
<b>भाग 'अ'</b>									
2,78,775.45	I	राजस्व प्राप्तियाँ	3,29,977.51	2,66,223.52	I	राजस्व व्यय		3,01,727.96	
97,393.00		-कर राजस्व	1,20,121.86	1,05,781.67		सामान्य सेवाएँ		1,31,057.25	
				84,251.68		सामाजिक सेवाएँ		91,311.73	
19,794.86		-करेतर राजस्व	30,100.71	46,140.89		-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति		47,657.37	
				14,792.46		-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		15,842.66	
1,20,939.14		-संघीय करों में राज्यांश	1,36,766.46	6,504.18		-जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास		8,707.75	
				338.93		-सूचना एवं प्रसारण		360.70	
				4,686.84		-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		5,210.79	
				880.39		-श्रम तथा श्रमिक कल्याण		1,005.78	
				10,803.71		-समाज कल्याण तथा पोषण		12,413.31	
				104.28		अन्य		113.37	
0.00		-वाह्य अनुदान सहायता	0.00	64,634.76		आर्थिक सेवाएँ		67,258.59	
27,730.91		-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं हेतु सहायता अनुदान	31,249.93	27,265.39		-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध सेवाएँ		12,128.99	
				17,086.30		-ग्राम्य विकास		25,908.70	
8,849.23		-वित्त आयोग अनुदान	9,317.81	72.61		-विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम		45.72	
				6,980.61		-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण		6,769.73	
				7,161.54		-ऊर्जा		15,352.15	
				1,308.40		-उद्योग एवं खनिज		2,024.90	
				4,125.24		-परिवहन		4,532.36	
4,068.31		-अन्य अन्तरण/राज्य को अनुदान	2,420.74	56.17		-विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण		65.67	
				578.50		-सामान्य आर्थिक सेवाएँ		430.37	
				11,555.41		सहायता अनुदान एवं अंशदान		12,100.39	
2,78,775.45		योग	3,29,977.51	2,66,223.52		योग		3,01,727.96	
शून्य	II	राजस्व घाटा भाग 'ब' को अग्रेषित	शून्य	12,551.93	II	राजस्व आधिक्य भाग 'ब' को अग्रेषित		28,249.55	
2,78,775.45		योग	3,29,977.51	2,78,775.45		योग		3,29,977.51	

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

प्राप्तियाँ			संवितरण				
2017-18		2018-19	2017-18		2018-19		
<b>भाग 'ब'</b>							
943.91	III	प्रारम्भिक रोकड़ शेष, स्थाई अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित	11,481.15	-	III	भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारम्भिक ओवरड्राफ्ट	-
-	IV	विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	-	39,087.97	IV	पूंजीगत परिव्यय	62,463.41
				2,775.78		सामान्य सेवाएं	3,419.43
				11,625.13		सामाजिक सेवाएं	10,589.12
				938.27		-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	992.38
				2,111.98		-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,259.68
				7,576.16		-जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	6,138.77
				275.53		-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	131.95
				421.05		-समाज कल्याण तथा पोषण	413.10
				302.14		-अन्य	653.24
				24,687.06		आर्थिक सेवाएं	48,454.86
				1,614.43		-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध क्रियाकलाप	2,948.27
				2,313.12		-ग्राम्य विकास	3,406.72
				591.16		-विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	698.31
				3,107.33		-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	5,530.79
				8,312.88		-ऊर्जा	13,411.87
				69.39		-उद्योग एवं खनिज	37.14
				8,324.75		-परिवहन	21,999.90
				354.00		-सामान्य आर्थिक सेवाएं	421.86
				00		-विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	00
235.77	V	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	5,313.39	1,509.29	V	संवितरित ऋण तथा अग्रिम	6,302.64
0.00		विद्युत परियोजनाओं से	4,891.72	0.00		-विद्युत परियोजनाओं हेतु	615.45
101.81		सरकारी कर्मचारियों से	100.50	88.42		-सरकारी कर्मचारियों को	95.52
133.96		अन्य से	321.17	1,420.87		-अन्य को	55,91.67
12,551.93	VI	अधोनीत राजस्व आधिक्य	28,249.55	-	VI	अधोनीत राजस्व घाटा	-
47,416.56	VII	लोक ऋण प्राप्तियाँ	51,595.26	15,002.10	VII	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	20,716.61
43,380.45		-अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्ट से भिन्न आन्तरिक ऋण	50,790.95	10,528.18		-अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्ट से भिन्न आन्तरिक ऋण	19,080.08

प्राप्तियाँ			संवितरण			
2017-18		2018-19	2017-18		2018-19	
2,932.95	-अर्थोपाय अग्रिम	0.00	2,932.95	-अर्थोपाय अग्रिम	0.00	
-	-ओवरड्राफ्ट	-	-	-ओवरड्राफ्ट	-	
1,103.16	-केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम	804.31	1,540.97	-केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान	1,636.53	
-	<b>VIII</b> आकस्मिकता निधि से विनियोग	-	-	<b>VIII</b> आकस्मिकता निधि को विनियोग	-	
<b>258.04</b>	<b>IX</b> आकस्मिकता निधि को स्थानान्तरित धनराशि	<b>229.65</b>	<b>413.00</b>	<b>IX</b> आकस्मिकता निधि से व्यय	<b>396.29</b>	
<b>3,20,471.07</b>	<b>X</b> लोक लेखे प्राप्तियाँ	<b>3,80,993.97</b>	<b>3,14,383.77</b>	<b>X</b> लोक लेखे संवितरण	<b>3,61,071.91</b>	
11,718.07	-अल्प बचतें एवं भविष्य निधियां	13,467.37	9,187.94	-अल्प बचतें एवं भविष्य निधियां	9,821.78	
15,267.53	-आरक्षित निधियां	30,097.10	7,002.81	-आरक्षित निधियां	16,552.40	
2,48,680.18	-उचन्त एवं विविध	2,75,286.80	2,50,894.80	-उचन्त एवं विविध	2,75,064.04	
28,928.93	-प्रेषण	43,512.65	32,835.24	-प्रेषण	43,199.98	
15,876.36	-जमा तथा अग्रिम	18,630.05	14,462.98	-जमा तथा अग्रिम	16,433.71	
-	<b>XI</b> भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट का अंतिम अवशेष	-	<b>11,481.15</b>	<b>XI</b> अंतिम रोकड़ शेष	<b>26,912.11</b>	
			0.00	-कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	0.00	
			265.21	भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	171.10	
			11.36	-स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष	11.45	
			11,159.38	-रोकड़ शेष निवेश लेखा	26,684.36	
			45.20	उद्दिष्ट निधियों में निवेश	45.20	
<b>6,60,652.73</b>	<b>योग</b>	<b>8,07,840.48</b>	<b>6,60,652.73</b>	<b>योग</b>	<b>8,07,840.48</b>	



## परिशिष्ट 1.4

### वर्ष 2018-19 के लिए बजट अनुमान, वास्तविक प्राप्तियाँ एवं व्यय

(संदर्भ: प्रस्तर 1.3.3; पृष्ठ 7)

(₹ करोड़ में)

विवरण	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	वृद्धि/कमी (-)	वृद्धि/कमी (-) प्रतिशत में
1	2	3	4	5
राजस्व प्राप्तियाँ जिसमें	<b>3,48,619.37</b>	<b>3,29,977.51</b>	-18,641.86	-5.35
स्वयं का कर राजस्व	<b>1,22,700.00</b>	<b>1,20,121.86</b>	-2,578.14	-2.1
राज्य वस्तु एवं सेवाकर	49,422.00	46,108.03	-3,313.97	-6.71
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	22,078.00	23,797.84	1,719.84	7.79
राज्य आबकारी	23,000.00	23,926.66	926.66	4.03
वाहनों पर कर	7,400.00	6,929.34	-470.66	-6.36
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	18,000.00	15,733.03	-2,266.97	-12.59
विद्युत पर कर एवं शुल्क	2,000.00	2,978.22	978.22	48.91
भू-राजस्व	800.00	631.24	-168.76	-21.1
अन्य कर	0.00	17.50	17.50	-
<b>करेतर राजस्व</b>	<b>28,821.66</b>	<b>30,100.71</b>	1,279.05	4.44
ब्याज प्राप्तियाँ	843.60	1,712.44	868.84	102.99
विविध सामान्य सेवाएँ	12,758.33	13,677.57	919.24	7.21
अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	4,000.00	3,165.44	-834.56	-20.86
अन्य करेतर राजस्व	11,219.73	11,545.26	325.53	2.90
<b>केन्द्रीय करों एवं शुल्कों का अंश</b>	<b>1,33,548.40</b>	<b>1,36,766.46</b>	3,218.06	2.41
<b>भारत सरकार से सहायता अनुदान</b>	<b>63,549.31</b>	<b>42,988.48</b>	-20,560.83	-32.35
<b>राजस्व व्यय जिसमें</b>	<b>3,21,520.27</b>	<b>3,01,727.96</b>	<b>-19,792.31</b>	<b>-6.16</b>
<b>सामान्य सेवाएँ</b>	<b>1,36,244.33</b>	<b>1,31,057.25</b>	<b>-5,187.08</b>	<b>-3.81</b>
प्रशासनिक सेवाएँ	23,324.28	21,658.14	-1,666.14	-7.14
पेन्शन एवं विविध सामान्य सेवाएँ	45,542.89	43,678.97	-1,863.92	-4.09
ब्याज का भुगतान तथा ऋण सेवा	58,837.70	58,446.04	-391.66	-0.67
राजकोषीय सेवाएँ	4,844.50	4,296.29	-548.21	-11.32
राज्य के अंग	3,694.96	2,977.81	-717.15	-19.41
<b>सामाजिक सेवाएँ</b>	<b>1,10,663.85</b>	<b>91,311.73</b>	<b>-19,352.12</b>	<b>-17.49</b>
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	55,161.09	47,657.37	-7,503.72	-13.60
समाज कल्याण एवं पोषण	17,105.06	12,413.31	-4,691.75	-27.43
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	5,602.40	5,210.79	-391.61	-6.99
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	18,887.54	15,842.66	-3,044.88	-16.12
जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	12,131.30	8,707.75	-3,423.55	-28.22
सूचना एवं प्रसार	384.98	360.70	-24.28	-6.31
श्रम एवं श्रमिक कल्याण	1,261.06	1,005.78	-255.28	-20.24
अन्य	130.42	113.37	-17.05	-13.07
<b>आर्थिक सेवाएँ</b>	<b>62,424.57</b>	<b>67,258.59</b>	<b>4,834.02</b>	<b>7.74</b>

विवरण	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	वृद्धि/कमी (-)	वृद्धि/कमी (-) प्रतिशत में
कृषि तथा सम्बद्ध सेवाएँ	13,050.45	12,128.99	-921.46	-7.06
ग्राम्य विकास	19,864.92	25,908.70	6,043.78	30.42
विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	159.25	45.72	-113.53	-71.29
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	7,994.62	6,769.73	-1,224.89	-15.32
ऊर्जा	12,908.09	15,352.15	2,444.06	18.93
उद्योग एवं खनिज	3,172.70	2,024.90	-1,147.80	-36.18
परिवहन	4,431.09	4,532.36	101.27	2.29
विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	69.66	65.67	-3.99	-5.73
सामान्य आर्थिक सेवाएं	773.79	430.37	-343.42	-44.38
<b>सहायता अनुदान एवं अंशदान</b>	<b>12,187.52</b>	<b>12,100.39</b>	<b>-87.13</b>	<b>-0.71</b>
<b>पूँजीगत व्यय जिसमें</b>	<b>74,243.61</b>	<b>62,463.41</b>	<b>-11,780.20</b>	<b>-15.87</b>
<b>सामान्य सेवाएं</b>	<b>4,377.59</b>	<b>3,419.43</b>	<b>-958.16</b>	<b>-21.89</b>
<b>सामाजिक सेवाएं</b>	<b>22,443.92</b>	<b>10,589.12</b>	<b>-11,854.80</b>	<b>-52.82</b>
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	2,073.08	992.38	-1,080.70	-52.13
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,757.33	2,259.68	-497.65	-18.05
जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	15,714.09	6,138.77	-9,575.32	-60.93
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	252.75	131.95	-120.80	-47.79
समाज कल्याण एवं पोषण	915.09	413.10	-501.99	-54.86
अन्य सामाजिक सेवाएं	731.58	653.24	-78.34	-10.71
<b>आर्थिक सेवाएं</b>	<b>47,422.11</b>	<b>48,454.86</b>	<b>1,035.75</b>	<b>2.18</b>
कृषि तथा सम्बद्ध सेवाएं	817.21	2,948.27	2,131.06	260.77
ग्राम्य विकास	3,621.85	3,406.72	-215.13	-5.94
विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	854.41	698.31	-156.10	-18.27
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	7,979.59	5,530.79	-2,448.80	-30.69
ऊर्जा	12,981.86	13,411.87	430.01	3.31
उद्योग एवं खनिज	63.80	37.14	-26.66	-41.79
परिवहन	20,542.46	21,999.90	1,457.44	7.09
विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	0.00	0.00	0.00	0.00
सामान्य आर्थिक सेवाएं	560.93	421.86	-139.07	-24.79
<b>राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (-)</b>	<b>(+)27,099.10</b>	<b>(+)28,249.55</b>	<b>1,150.45</b>	<b>4.25</b>
<b>राजकोषीय घाटा (-)</b>	<b>(-)44,053.32</b>	<b>(-)35,203.11</b>	-8,250.21 (बजट अनुमानों से कम)	-20.09
<b>प्राथमिक आधिक्य (+)/घाटा (-)</b>	<b>(-)11,619.57</b>	<b>(-)3,161.02</b>	-8,458.55 (बजट अनुमानों से कम)	-72.80

**परिशिष्ट 1.5**  
**राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आँकड़े**  
(संदर्भ: प्रस्तर 1.4.1; पृष्ठ 9)

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
<b>भाग अ. प्राप्तियाँ</b>					
<b>1. राजस्व प्राप्तियाँ</b>	<b>1,93,422</b>	<b>2,27,076</b>	<b>2,56,875</b>	<b>2,78,775</b>	<b>3,29,978</b>
(i) स्वयं के कर राजस्व	74,172(38)	81,106(36)	85,966(33)	97,393(35)	1,20,122(36)
राज्य वस्तु एवं सेवाकर	-	-	-	25,374(26)	46,108(38)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	42,934(58)	47,692(59)	51,883(60)	31,113(32)	23,798(20)
राज्य आबकारी	13,483(18)	14,084(17)	14,274(17)	17,320(18)	23,927(20)
वाहनों पर कर	3,797(5)	4,410(5)	5,148(6)	6,404(7)	6,929(6)
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	11,803(16)	12,404(15)	11,564(13)	13,398(14)	15,733(13)
भू-राजस्व	527(1)	505(1)	760(1)	1,336(1)	631(1)
विद्युत पर कर एवं शुल्क	1,085(1)	1,338(2)	1,556(2)	2,124(2)	2,978(2)
अन्य कर	543(1)	673(1)	781(1)	324(0.33)	18(0.01)
(ii) करेतर राजस्व	19,935(10)	23,135(10)	28,944(11)	19,795(7)	30,101(9)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	66,623(35)	90,974(40)	1,09,428(43)	1,20,939(43)	1,36,766(42)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	32,692(17)	31,861(14)	32,537(13)	40,648(15)	42,989(13)
<b>2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली</b>	<b>262</b>	<b>726</b>	<b>259</b>	<b>236</b>	<b>5,313</b>
<b>4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)</b>	<b>1,93,684</b>	<b>2,27,802</b>	<b>2,57,134</b>	<b>2,79,011</b>	<b>3,35,291</b>
<b>5. लोक ऋण प्राप्तियाँ</b>	<b>35,520</b>	<b>74,514</b>	<b>67,685</b>	<b>47,417</b>	<b>51,595</b>
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	33,302(94)	69,421(93)	57,959(86)	43,381(92)	50,791(98)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत लेनदेन	1,732(5)	4,499(6)	8,695(13)	2,933(6)	0
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	486(1)	594(1)	1,031(1)	1,103(2)	804(2)
<b>6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)</b>	<b>2,29,204</b>	<b>3,02,316</b>	<b>3,24,819</b>	<b>3,26,428</b>	<b>3,86,886</b>
<b>7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ</b>	<b>1</b>	<b>201</b>	<b>173</b>	<b>258</b>	<b>230</b>
<b>8. लोक लेखा प्राप्तियाँ</b>	<b>2,30,199</b>	<b>2,65,972</b>	<b>3,06,406</b>	<b>3,20,471</b>	<b>3,80,994</b>
<b>9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)</b>	<b>4,59,404</b>	<b>5,68,489</b>	<b>6,31,398</b>	<b>6,47,157</b>	<b>7,68,110</b>
<b>भाग ब. व्यय/संवितरण</b>					
<b>10. राजस्व व्यय</b>	<b>1,71,027(76)</b>	<b>2,12,736(74)</b>	<b>2,36,592(76)</b>	<b>2,66,224(87)</b>	<b>3,01,728(81)</b>
आयोजनागत	33,262(19)	43,251(20)	49,706(21)		
आयोजनेत्तर	1,37,765(81)	1,69,485(80)	1,86,886(79)		
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतान सहित)	64,305(38)	72,228(34)	88,255(37)	1,05,782(40)	1,31,057(44)
सामाजिक सेवाएं	60,906(36)	82,487(39)	91,861(39)	84,252(32)	91,312(30)
आर्थिक सेवाएं	34,885(20)	47,881(22)	45,834(19)	64,635(24)	67,259(22)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	10,931(6)	10,140(5)	10,642(5)	11,555(4)	12,100(4)
<b>11. पूंजीगत व्यय</b>	<b>53,297(23)</b>	<b>64,423(23)</b>	<b>69,789(22)</b>	<b>39,088(13)</b>	<b>62,463(17)</b>
आयोजनागत	44,416(83)	49,045(76)	60,573(87)		
आयोजनेत्तर	8,881(17)	15,378(24)	9,216(13)		
सामान्य सेवाएं	4,009(7)	5,259(8)	5,727(8)	2,776(7)	3,419(5)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सामाजिक सेवाएं	12,755(24)	11,707(18)	17,151(25)	11,625(30)	10,589(17)
आर्थिक सेवाएं	36,534(69)	47,457(74)	46,911(67)	24,687(63)	48,455(78)
<b>12. ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण</b>	<b>1,873(1)</b>	<b>9,118(3)</b>	<b>6,741(2)</b>	<b>1,509(0)</b>	<b>6,303(2)</b>
<b>13. कुल व्यय (10+11+12)</b>	<b>2,26,197</b>	<b>2,86,277</b>	<b>3,13,122</b>	<b>3,06,821</b>	<b>3,70,494</b>
<b>14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान</b>	<b>9,411</b>	<b>17,673</b>	<b>20,303</b>	<b>15,002</b>	<b>20,717</b>
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	8,051(86)	10,045(57)	10,168(50)	10,528(70)	19,080(92)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत लेनदेन	0	6,231(35)	8,695(43)	2,933(20)	0
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,360(14)	1,397(8)	1,440(7)	1,541(10)	1,637(8)
<b>15. आकस्मिकता निधि को विनियोग</b>	-	-	-	-	-
<b>16. समेकित निधि से कुल संवितरण (कुल व्यय) (13+14+15)</b>	<b>2,35,608</b>	<b>3,03,950</b>	<b>3,33,425</b>	<b>3,21,823</b>	<b>3,91,211</b>
<b>17. आकस्मिकता निधि संवितरण</b>	<b>203</b>	<b>44</b>	<b>349</b>	<b>413</b>	<b>396</b>
<b>18. लोक लेखे संवितरण</b>	<b>2,28,014</b>	<b>2,64,294</b>	<b>2,96,523</b>	<b>3,14,384</b>	<b>3,61,072</b>
<b>19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)</b>	<b>4,63,825</b>	<b>5,68,288</b>	<b>6,30,297</b>	<b>6,36,620</b>	<b>7,52,679</b>
<b>भाग स. घाटा</b>					
<b>20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व आधिक्य (+) (1-10)</b>	<b>(+) 22,394</b>	<b>(+) 14,340</b>	<b>(+)20,283</b>	<b>(+)12,552<sup>8</sup></b>	<b>(+)28,250</b>
<b>21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय आधिक्य (+) (4-13)</b>	<b>(-) 32,513</b>	<b>(-) 58,475</b>	<b>(-)55,988</b>	<b>(-)27,810</b>	<b>(-)35,203</b>
<b>22. प्राथमिक घाटा (21+23)</b>	<b>(-) 13,648</b>	<b>(-) 37,027</b>	<b>(-)29,052</b>	<b>(+)1,326</b>	<b>(-)3,161</b>
<b>भाग द. अन्य आंकड़े</b>					
<b>23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)</b>	<b>18,865</b>	<b>21,448</b>	<b>26,936</b>	<b>29,136</b>	<b>32,042</b>
<b>24. स्थानीय निकाय, सार्वजनिक उपक्रमों, अराजकीय संस्थाओं आदि को सहायता अनुदान</b>	<b>52,241</b>	<b>77,069</b>	<b>82,378</b>	<b>92,221</b>	<b>91,764</b>
<b>25. अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट का लाभ (दिनों में)</b>	-	<b>14</b>	-	<b>5</b>	-
अर्थोपाय अग्रिम का उपभोग (दिनों में)	-	14	-	5	-
ओवरड्राफ्ट का उपभोग (दिनों में)	-	-	-	-	-
<b>26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज</b>	-	-	-	-	-
<b>27. वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)</b>	<b>10,11,790</b>	<b>11,37,210</b>	<b>12,48,374</b>	<b>13,76,324</b>	<b>15,42,432</b>
<b>28. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्षान्त)</b>	<b>3,07,859</b>	<b>3,67,252</b>	<b>4,23,224</b>	<b>4,67,842</b>	<b>5,18,096</b>
<b>29. बकाया प्रत्याभूतियाँ (वर्षान्त) ब्याज सहित</b>	<b>70,740</b>	<b>57,618</b>	<b>55,825</b>	<b>74,841</b>	<b>1,10,032</b>
<b>30. अधिकतम प्रत्याभूत धनराशियां (वर्षान्त)</b>	<b>78,023</b>	<b>78,826</b>	<b>66,702</b>	<b>74,303</b>	<b>90,662</b>
<b>31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या</b>	<b>545</b>	<b>924</b>	<b>611</b>	<b>1,065</b>	<b>592</b>
<b>32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी</b>	<b>7,714</b>	<b>14,407</b>	<b>12,987</b>	<b>11,195</b>	<b>7,109</b>

<sup>8</sup> राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 2,78,775.45 करोड़ – राजस्व व्यय ₹ 2,66,223.52 करोड़ = ₹ 12,551.93 करोड़।

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
<b>भाग य. राजकोषीय स्थिति के संकेतक</b>					
<b>I संसाधनों का संग्रहण</b>					
स्वयं का कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	7.33	7.13	6.89	7.08	7.79
करेतर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	1.97	2.03	2.32	1.44	1.95
केन्द्रीय स्थानान्तरण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	6.58	8.00	8.77	8.79	8.87
<b>II व्यय प्रबन्धन</b>					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	22.36	25.17	25.08	22.29	24.02
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)	116.94	126.07	121.90	110.06	112.28
राजस्व व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	75.61	74.31	75.56	86.77	81.44
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	33	33	35	31	28
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	32	33	30	29	33
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	24	23	22	13	17
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	22	21	20	12	16
<b>III राजकोषीय असन्तुलन का प्रबन्धन</b>					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	(+)2.21	(+)1.26	(+)1.62	(+)0.91	(+)1.83
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद* (प्रतिशत)	(-)3.21	(-)3.00	(-)3.30	(-)2.02	(-)2.28
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	(-)1.35	(-)3.26	(-)2.33	(+)0.10	(-)0.20
<b>IV राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन</b>					
राजकोषीय देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद* (प्रतिशत)	30.43	30.15	32.72	33.99	33.59
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियाँ* (प्रतिशत)	159	151	159	168	157
<b>V अन्य राजकोषीय स्थिति के संकेतक</b>					
निवेश पर प्रतिफल (₹ करोड़ में)	8.08	42.66	86.34	30.84	175.48
वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं	0.97	1.02	1.06	1.08	1.12

कोष्ठक में दिए गये अंक प्रत्येक उपशीर्षों का कुल योग से प्रतिशत (पूर्णांक) प्रदर्शित करता है।

\*वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 हेतु उदय पर व्यय को गणना में नहीं लिया गया है।

## परिशिष्ट 1.6

## वर्ष 2014-19 की अवधि में स्वयं का कर/करेतर राजस्व का संग्रह

(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.4.1.1; पृष्ठ 10)

## (अ) वर्ष 2014-19 की अवधि में स्वयं का कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
					बजट अनुमान	वास्तविक व्यय
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	-	-	-	25,374	49,422	46,108
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	42,934	47,692	51,883	31,113	22,078	23,798
राज्य आबकारी	13,483	14,084	14,274	17,320	23,000	23,927
वाहनों पर कर	3,797	4,410	5,148	6,404	7,400	6,929
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	11,803	12,404	11,564	13,398	18,000	15,733
भू-राजस्व	527	505	760	1,336	800	631
विद्युत पर कर एवं शुल्क	1,085	1,338	1,556	2,124	2,000	2,978
अन्य कर	543	673	781	324	00	18
<b>योग (अ)</b>	<b>74,172</b>	<b>81,106</b>	<b>85,966</b>	<b>97,393</b>	<b>1,22,700</b>	<b>1,20,122</b>

## (ब) वर्ष 2014-19 की अवधि में करेतर राजस्व

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
					बजट अनुमान	वास्तविक व्यय
ब्याज प्राप्तियां, लाभांश एवं लाभ	2,310	676	1,251	1,124	852	1,888
सामान्य सेवायें	7,122	6,114	5,994	6,806	13,805	15,366
सामाजिक सेवायें	6,514	11,264	14,653	1,571	972	872
आर्थिक सेवायें	3,988	5,081	7,046	10,294	13,193	11,975
<b>योग (ब)</b>	<b>19,935</b>	<b>23,135</b>	<b>28,944</b>	<b>19,795</b>	<b>28,822</b>	<b>30,101</b>
<b>महायोग (अ+ब)</b>	<b>94,107</b>	<b>1,04,241</b>	<b>1,14,910</b>	<b>1,17,188</b>	<b>1,51,522</b>	<b>1,50,223</b>

## परिशिष्ट 1.7

### 31 मार्च 2019 को सरकार की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त सार

(संदर्भ: प्रस्तर 1.7.1; पृष्ठ 29)

(₹ करोड़ में)

31.03.2018 को	देयताएं		31.03.2019 को
<b>3,21,479.05</b>	<b>आन्तरिक ऋण</b>		<b>3,53,189.92</b>
2,02,050.31	ब्याज सहित बाजार ऋण	2,35,356.98	
3.08	ब्याज रहित बाजार ऋण	3.08	
1.61	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	1.03	
1,19,424.05	अन्य संस्थानों से ऋण	1,17,828.83	
0.00	अर्थोपाय अग्रिम	0.00	
0.00	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट	0.00	
<b>12,811.82</b>	<b>केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम</b>		<b>11,979.59</b>
9.94	1984-85 से पहले का ऋण	9.94	
0.27	आयोजनेतर ऋण एवं केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं के लिये ऋण	0.09	
12,789.99	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	11,968.13	
0.00	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	0.00	
10.19	केन्द्रीय पुरोनिधानित आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	0.00	
1.43	अर्थोपाय अग्रिम	1.43	
<b>600.00</b>	<b>आकस्मिकता निधि (कॉर्पस)</b>		<b>600.00</b>
<b>50,767.76</b>	<b>अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि</b>		<b>54,413.34</b>
<b>23,503.49</b>	<b>निक्षेप</b>		<b>25,687.88</b>
<b>59,280.07</b>	<b>आरक्षित निधियाँ</b>		<b>72,824.77</b>
<b>0.00</b>	<b>प्रेषण शेष</b>		<b>0.00</b>
<b>36,443.29</b>	<b>सरकारी लेखों में आधिक्य</b>		<b>64,692.86</b>
23,891.36	(i) वर्ष के प्रारम्भ में संचयी आधिक्य	36,443.29	
12,551.93	(ii) जोड़ें: वर्तमान वर्ष में राजस्व आधिक्य	28,249.56	
<b>5,04,885.48</b>	<b>योग</b>		<b>5,83,388.36</b>
<b>परिसम्पत्तियाँ</b>			
<b>4,59,403.68</b>	<b>अचल सम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय</b>		<b>5,21,867.09</b>
1,04,778.71	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	1,18,531.56	
3,54,624.97	अन्य पूंजीगत परिव्यय	4,03,335.53	
<b>463.08</b>	<b>आकस्मिकता निधि (असमायोजित)</b>		<b>629.73</b>
<b>29,720.31</b>	<b>ऋण एवं अग्रिम</b>		<b>30,709.56</b>
11,713.87	विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	7,437.60	
17,805.12	अन्य विकास ऋण	23,075.63	
201.32	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं विविध ऋण	196.33	
<b>45.20</b>	<b>आरक्षित निधियों में निवेश</b>		<b>45.20</b>

31.03.2018 को			31.03.2019 को
87.29	विभागीय अधिकारियों के पास अग्रिम		75.34
3,304.21	उचन्त एवं विविध शेष		3,081.44
425.76	प्रेषण शेष		113.09
11,435.95	रोकड़		26,866.91
0.00	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	0.00	
265.21	भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	171.10	
10.87	विभागीय रोकड़ शेष	10.96	
0.49	स्थाई अग्रिम	0.49	
11,159.38	रोकड़ शेष निवेश	26,684.36	
5,04,885.48	योग		5,83,388.36

### परिशिष्ट 1.3 एवं 1.7 के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

पूर्ववर्ती विवरणों में संक्षिप्त लेखे को वित्त लेखे में दिए गये विवरणों एवं टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाय। सरकारी लेखे मुख्यतया रोकड़ आधारित होते हैं, सरकारी लेखे में घाटे, जैसा कि **परिशिष्ट 1.7** में प्रदर्शित है, नकदी आधार पर प्रदर्शित है, सम्भूति आधारित वाणिज्यिक लेखाओं से भिन्न है। फलस्वरूप, देय या प्राप्य मद का ह्रास अथवा भंडार लेखा में विचलन इत्यादि मद लेखे में अंकित नहीं है। उचन्त एवं विविध अवशेष में ऐसे निर्गत चेक जिनका भुगतान नहीं किया गया, राज्य की ओर से किए गये भुगतान एवं अन्य लम्बित समाधान सम्मिलित है। "रिजर्व बैंक में निक्षेप" के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित एवं लेखे में प्रदर्शित आंकड़ों के बीच ₹ 49.08 करोड़ का अन्तर था।



**परिशिष्ट 1.8**  
**आरक्षित निधियों का विवरण**  
(संदर्भ: प्रस्तर 1.7.2; पृष्ठ 29)

(₹ लाख में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	संवितरण	अन्तिम शेष
<b>2016-17</b>				
<b>आरक्षित निधियाँ</b>				
<b>ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ</b>				
<b>8115- मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि</b>	(-) 4,441.57	0.00	0.00	(-) 4,441.57
105- मूल्यहास आरक्षित निधि-निवेश खाता	(-) 4,441.57	0.00	0.00	(-) 4,441.57
<b>8121- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
102- कृषि प्रयोजनों के लिये विकास निधि	(-) 6.19	0.00	0.00	(-) 6.19
111- आकस्मिकता आरक्षित निधि-विद्युत	6.19	0.00	0.00	6.19
<b>योग</b>	<b>(-) 4,441.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(-) 4,441.57</b>
<b>ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ</b>				
<b>8222- सिंकिंग फण्ड</b>	<b>43,03,264.53</b>	<b>10,77,235.00</b>	<b>4,14,560.80</b>	<b>49,65,938.73</b>
01- ऋण घटाने या उसके परिहार के लिये विनियोजन	43,03,264.53	10,77,235.00	4,14,560.80	49,65,938.73
101- सिंकिंग फण्ड				
<b>8223- अकाल राहत निधि</b>	<b>(-) 78.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(-) 78.01</b>
102- अकाल राहत निधि-निवेश लेखा	(-) 78.01	0.00	0.00	(-) 78.01
<b>8225- सड़कें एवं सेतु निधि</b>	<b>(-) 32,146.49</b>	<b>4,40,000.00</b>	<b>4,40,000.00</b>	<b>(-) 32,146.49</b>
101- राज्य सड़क तथा सेतु निधि	(-) 32,146.49	4,40,000.00	4,40,000.00	(-) 32,146.49
<b>8226- मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि</b>	<b>(-) 799.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(-) 799.03</b>
102- सरकारी अवाणिज्यिक विभागों की मूल्यहास आरक्षित निधि	(-) 799.03	0.00	0.00	(-) 799.03
<b>8229- विकास एवं कल्याण निधि</b>	<b>67,607.18</b>	<b>2,50,000.00</b>	<b>2,28,775.63</b>	<b>88,831.55</b>
101- शिक्षा प्रयोजनों के लिए विकास निधि	4,335.41	0.00	0.00	4,335.41
105- चीनी विकास निधि	1,560.58	0.00	0.00	1,560.58
106- औद्योगिक विकास निधि	1,222.38	0.00	0.00	1,222.38
109- सहकारी विकास निधि	0.01	0.00	0.00	0.01
200- अन्य विकास तथा कल्याण निधि	60,488.80	2,50,000.00	2,28,775.63	81,713.17
<b>8235- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ</b>	<b>41,105.98</b>	<b>2,33,344.64</b>	<b>1,94,740.64</b>	<b>79,709.98</b>
101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधियाँ	1,377.47	5,089.33	0.00	6,466.80
103- धार्मिक तथा पूर्त न्यास निधि	33.79	0.03	0.00	33.82
107- इथाइल अल्कोहल भण्डारण सुविधा निधि	0.52	(-)0.52	0.00	0.00
111- राज्य आपदा अनुक्रिया निधि	26,440.48	2,28,255.80	1,93,483.67	61,212.61
200- अन्य निधियाँ	13,253.72	0.00	1,256.97	11,996.75
<b>योग</b>	<b>43,78,954.16</b>	<b>20,00,579.64</b>	<b>12,78,077.07</b>	<b>51,01,456.73</b>
<b>महायोग</b>	<b>43,74,512.59</b>	<b>20,00,579.64</b>	<b>12,78,077.07</b>	<b>50,97,015.16</b>
<b>2017-18</b>				
<b>आरक्षित निधियाँ</b>				
<b>ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ</b>				
<b>8115- मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि</b>	<b>(-) 4,441.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(-) 4,441.57</b>

विवरण	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	संवितरण	अन्तिम शेष
105- मूल्यहास आरक्षित निधि-निवेश खाता	(-) 4,441.57	0.00	0.00	(-) 4,441.57
<b>8121- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
102- कृषि प्रयोजनों के लिये विकास निधि	(-) 6.19	0.00	(-) 6.19	00
111- आकस्मिकता आरक्षित निधि-विद्युत	6.19	0.00	6.19	00
<b>योग</b>	<b>(-) 4,441.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(-) 4,441.57</b>
<b>ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ</b>				
<b>8222- सिंकिंग फण्ड</b>	<b>49,65,938.73</b>	<b>12,23,222.60</b>	<b>4,42,200.00</b>	<b>57,46,961.33</b>
01- ऋण घटाने या उसके परिहार के लिये विनियोजन	49,65,938.73	12,23,222.60	4,42,200.00	57,46,961.33
101- सिंकिंग फण्ड				
<b>8223- अकाल राहत निधि</b>	<b>(-) 78.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(-) 78.01</b>
102- अकाल राहत निधि-निवेश लेखा	(-) 78.01	0.00	0.00	(-) 78.01
<b>8225- सड़कें एवं सेतु निधि</b>	<b>(-) 32,146.49</b>	<b>2,00,000.00</b>	<b>2,00,000.00</b>	<b>(-) 32,146.49</b>
101- राज्य सड़क तथा सेतु निधि	(-) 32,146.49	2,00,000.00	2,00,000.00	(-) 32,146.49
<b>8226- मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि</b>	<b>(-) 799.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(-) 799.03</b>
102- सरकारी अवाणिज्यिक विभागों की मूल्यहास आरक्षित निधि	(-) 799.03	0.00	0.00	(-) 799.03
<b>8229- विकास एवं कल्याण निधि</b>	<b>88,831.55</b>	<b>21,844.32</b>	<b>14,395.46</b>	<b>96,280.41</b>
101- शिक्षा प्रयोजनों के लिए विकास निधि	4,335.41	0.00	0.00	4,335.41
105- चीनी विकास निधि	1,560.58	(-)1,000.00	560.58	0.00
106- औद्योगिक विकास निधि	1,222.38	(-)47.63	0.00	1,174.75
109- सहकारी विकास निधि	0.01	0.00	0.00	0.01
200- अन्य विकास तथा कल्याण निधि	81,713.17	22,891.95	13,834.88	90,770.24
<b>8235- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ</b>	<b>79,709.98</b>	<b>81,686.03</b>	<b>43,685.91</b>	<b>1,17,710.10</b>
101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधियाँ	6,466.80	(-)4,285.27	0.00	2,181.53
103- धार्मिक तथा पूर्त न्यास निधि	33.82	(-)33.82	0.00	0.00
111- राज्य आपदा अनुक्रिया निधि	61,212.61	81,063.27	41,280.89	1,00,994.99
200- अन्य निधियाँ	11,996.75	4,941.85	2,405.02	14,533.58
<b>योग</b>	<b>51,01,456.73</b>	<b>15,26,752.95</b>	<b>7,00,281.37</b>	<b>59,27,928.31</b>
<b>महायोग</b>	<b>50,97,015.16</b>	<b>15,26,752.95</b>	<b>7,00,281.37</b>	<b>59,23,486.74</b>
<b>2018-19</b>				
<b>आरक्षित निधियाँ</b>				
<b>ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ</b>				
<b>8115- मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि</b>	<b>(-) 4,441.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(-) 4,441.57</b>
105- मूल्यहास आरक्षित निधि-निवेश खाता	(-) 4,441.57	0.00	0.00	(-) 4,441.57
<b>योग</b>	<b>(-) 4,441.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(-) 4,441.57</b>
<b>ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ</b>				
<b>8222- सिंकिंग फण्ड</b>	<b>57,46,961.33</b>	<b>26,40,395.00</b>	<b>12,69,333.00</b>	<b>71,18,023.33</b>
01- ऋण घटाने या उसके परिहार के लिये विनियोजन	57,46,961.33	26,40,395.00	12,69,333.00	71,18,023.33
101- सिंकिंग फण्ड				
<b>8223- अकाल राहत निधि</b>	<b>(-) 78.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(-) 78.01</b>
102- अकाल राहत निधि-निवेश लेखा	(-) 78.01	0.00	0.00	(-) 78.01
<b>8225- सड़कें एवं सेतु निधि</b>	<b>(-) 32,146.49</b>	<b>3,00,000.00</b>	<b>2,94,953.19</b>	<b>(-) 27,099.68</b>
101- राज्य सड़क तथा सेतु निधि	(-) 32,146.49	3,00,000.00	2,94,953.19	(-) 27,099.68

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

विवरण	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	संवितरण	अन्तिम शेष
<b>8226- मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि</b>	<b>(-) 799.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(-) 799.03</b>
102- सरकारी अवाणिज्यिक विभागों की मूल्यहास आरक्षित निधि	(-) 799.03	0.00	0.00	(-) 799.03
<b>8229- विकास एवं कल्याण निधि</b>	<b>96,280.41</b>	<b>20.00</b>	<b>19,123.77</b>	<b>77,176.64</b>
101- शिक्षा प्रयोजनों के लिए विकास निधि	4,335.41	0.00	98.70	4,236.71
106- औद्योगिक विकास निधि	1,174.75	0.00	0.00	1,174.75
109- सहकारी विकास निधि	0.01	0.00	0.00	0.01
200- अन्य विकास तथा कल्याण निधि	90,770.24	20.00	19,025.07	71,765.17
<b>8235- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां</b>	<b>1,17,710.10</b>	<b>69,295.31</b>	<b>71,829.76</b>	<b>1,15,175.65</b>
101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधियां	2,181.53	5,138.36	0.00	7,319.89
111- राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (राज्य मिटीगेशन निधि के अवशेष ₹ 1,000 लाख को सम्मिलित करते हुए)	1,00,994.99	61,756.95	66,058.27	96,693.67
200- अन्य निधियां	14,533.58	2,400.00	5,771.49	11,162.09
<b>योग</b>	<b>59,27,928.31</b>	<b>30,09,710.31</b>	<b>16,55,239.72</b>	<b>72,82,398.90</b>
<b>महायोग</b>	<b>59,23,486.74</b>	<b>30,09,710.31</b>	<b>16,55,239.72</b>	<b>72,77,957.33</b>

## परिशिष्ट 2.1

## अधिक व्यय के विनियमितीकरण की आवश्यकता

(सन्दर्भ : प्रस्तर 2.2.1; पृष्ठ 40)

## (अ) वर्ष 2018-19 में व्ययाधिक्य के विनियमितीकरण की आवश्यकता

(₹ लाख में)

क्र० सं०	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	कुल अनुदान/विनियोग	व्यय	व्ययाधिक्य	वर्ष के दौरान निधियों का समायोजन	व्ययाधिक्य के विनियमितीकरण की आवश्यकता
1	2	3	4	5	6	7
<b>राजस्व-दत्तमत</b>						
1.	57-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	12,450.00	15,611.54	3,161.54	1,419.23	1,742.31
		<b>12,450.00</b>	<b>15,611.54</b>	<b>3,161.54</b>	<b>1,419.23</b>	<b>1,742.31</b>
<b>राजस्व-भारित</b>						
2.	52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद एवं अन्य व्यय)	22.50	33.05	10.55	0.00	10.55
		<b>22.50</b>	<b>33.05</b>	<b>10.55</b>	<b>0.00</b>	<b>10.55</b>
<b>पूंजीगत-दत्तमत</b>						
3.	55-लोक निर्माण विभाग (भवन)	6,660.94	15,156.03	8,495.09	612.99	7,882.10
4.	57-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	1,57,232.00	1,72,974.54	15,742.54	15,724.96	17.58
5.	58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	12,32,672.00	14,80,102.38	2,47,430.38	1,03,464.43	1,43,965.95
	<b>योग</b>	<b>13,96,564.94</b>	<b>16,68,232.95</b>	<b>2,71,668.01</b>	<b>1,19,802.38</b>	<b>1,51,865.63</b>
<b>पूंजीगत-भारित</b>						
6.	10-कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)	8.86	158.23	149.37	0.00	149.37
7.	21- खाद्य एवं रसद विभाग	0.50	154.29	153.79	0.00	153.79
8.	55-लोक निर्माण विभाग (भवन)	25.35	47.34	21.99	0.00	21.99
	<b>योग</b>	<b>34.71</b>	<b>359.86</b>	<b>325.15</b>	<b>0.00</b>	<b>325.15</b>
	<b>महायोग</b>	<b>14,09,072.15</b>	<b>16,84,237.40</b>	<b>2,75,165.25</b>	<b>1,21,221.61</b>	<b>1,53,943.64</b>

(स्रोत : विनियोग लेखे वर्ष 2018-19)

(ब) विगत वर्षों के व्ययाधिक्य के विनियमितीकरण की आवश्यकता

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	वर्ष	अनुदानों / विनियोगों की संख्या	अनुदानों / विनियोगों का विवरण	आधिक्य धनराशि
1.	2005-06	23-अनुदान 4-विनियोग	राजस्व दत्तमत - 8,12,53,55,57,58,72; पूँजीगत दत्तमत - 15,16,18,23, 33, 34,37,38,40, 55,56, 57,58,73,75,96; राजस्व भारित - 1,52; पूँजीगत भारित - 52,55;	869.05
2.	2006-07	18-अनुदान 6-विनियोग	राजस्व दत्तमत - 9,13,55,58,61,62,73,91,95; पूँजीगत दत्तमत - 3,16,31, 37, 55,57,58,89,96; राजस्व भारित - 2,3,10,52,62,89;	2,484.47
3.	2007-08	12-अनुदान 2-विनियोग	राजस्व दत्तमत - 51,55,57,58,62; पूँजीगत दत्तमत - 13,16,55,58,63,83,96; राजस्व भारित - 51,66	3,610.65
4.	2008-09	5-अनुदान 1-विनियोग	राजस्व दत्तमत - 62,96; पूँजीगत दत्तमत - 55,58,96; राजस्व भारित - 52;	3,399.42
5.	2009-10	6-अनुदान 6-विनियोग	राजस्व दत्तमत - 58; पूँजीगत दत्तमत - 1,16,55,58,59; राजस्व भारित - 3,10,16,48,52,66;	1,250.16
6.	2010-11	6-अनुदान 4-विनियोग	राजस्व दत्तमत - 30,51,91; पूँजीगत दत्तमत - 10,55,58; राजस्व भारित - 10,23,61,82;	1,702.62
7.	2011-12	6-अनुदान 6-विनियोग	राजस्व दत्तमत - 21,62,91; पूँजीगत दत्तमत - 1,55,58; राजस्व भारित - 13,18,23,61,62,82;	1,889.66
8.	2012-13	4-अनुदान 3-विनियोग	राजस्व दत्तमत - 51,57; पूँजीगत दत्तमत - 55,58; राजस्व भारित - 55,62,89;	2,380.23
9.	2013-14	2-अनुदान 1-विनियोग	पूँजीगत दत्तमत - 55, 58; पूँजीगत भारित - 52;	2,608.18
10.	2014-15	7- अनुदान 1- विनियोग	राजस्व दत्तमत - 57,91; पूँजीगत दत्तमत - 1,40,55,57,58; राजस्व भारित - 13;	2,225.32
11.	2015-16	4- अनुदान 4- विनियोग	पूँजीगत दत्तमत - 55,57,58,87; राजस्व भारित - 2,23,52,62;	1,566.71
12.	2016-17	3- अनुदान 2- विनियोग	पूँजीगत दत्तमत - 55,58,87; राजस्व भारित - 89; पूँजीगत भारित - 61;	5,662.17
13.	2017-18	2- अनुदान 2-विनियोग	राजस्व दत्तमत - 62; पूँजीगत दत्तमत - 55; राजस्व भारित - 91; पूँजीगत भारित - 58;	1,337.17
<b>योग</b>				<b>30,985.81</b>

(स्रोत : सम्बन्धित वर्षों के विनियोग लेखे)

## परिशिष्ट 2.2

## ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक की बचत वाले अनुदान/विनियोग का विवरण

(सन्दर्भ : प्रस्तर 2.2.2; पृष्ठ 40)

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	प्रावधान			व्यय	बचतें
			मूल अनुदान	अनुपूरक	कुल अनुदान		
राजस्व-दत्तमत							
1.	2	आवास विभाग	486.87	0.00	486.87	195.07	291.80
2.	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	555.90	0.00	555.90	319.77	236.13
3.	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	2,122.45	100.00	2,222.45	792.03	1,430.42
4.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)	620.65	0.50	621.15	488.94	132.21
5.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	7,448.21	1,387.20	8,835.41	7,946.64	888.77
6.	12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	324.08	0.00	324.08	126.28	197.80
7.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	3,278.28	138.78	3,417.06	2,841.26	575.80
8.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	14,093.78	8,931.19	23,024.97	18,694.34	4,330.63
9.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	1,530.35	13.52	1,543.87	1,233.12	310.75
10.	26	गृह विभाग (पुलिस)	16,487.41	726.27	17,213.68	16,839.61	374.07
11.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	3,163.37	0.05	3,163.42	2,718.30	445.12
12.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	7,026.57	0.01	7,026.58	5,744.39	1,282.19
13.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	1,060.82	8.00	1,068.82	731.89	336.93
14.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	5,303.67	0.00	5,303.67	4,584.48	719.19
15.	36	चिकित्सा विभाग (लोक स्वास्थ्य)	733.21	0.00	733.21	548.65	184.56
16.	37	नगर विकास विभाग	10,994.41	60.00	11,054.41	7,602.81	3,451.60
17.	38	नागरिक उद्‌डयन विभाग	198.42	0.00	198.42	53.82	144.60
18.	40	नियोजन विभाग	320.52	3.15	323.67	200.99	122.68
19.	41	निर्वाचन विभाग	493.23	0.00	493.23	233.29	259.94
20.	42	न्याय विभाग	2,175.20	44.37	2,219.57	1,745.69	473.88
21.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2,252.45	0.00	2,252.45	1,218.44	1,034.01
22.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	7,282.26	831.28	8,113.54	5,648.82	2,464.72
23.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	997.74	0.00	997.74	838.93	158.81
24.	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के सम्बन्ध में राहत)	1,649.97	301.00	1,950.97	580.05	1,370.92
25.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	3,519.60	0.00	3,519.60	3,051.26	468.34
26.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	2,478.18	6.20	2,484.38	715.28	1,769.10
27.	60	वन विभाग	793.66	2.70	796.36	608.02	188.34
28.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेन्शन)	44,592.13	3,031.89	47,624.02	43,443.27	4,180.75
29.	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	306.27	10.00	316.27	-160.66	476.93
30.	69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	664.37	0.00	664.37	562.84	101.53
31.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	49,952.83	0.00	49,952.83	35,031.61	14,921.22
32.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	9,334.72	5.54	9,340.26	8,960.44	379.82
33.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2,530.82	973.84	3,504.66	2,743.27	761.39
34.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	997.37	0.00	997.37	850.58	146.79
35.	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं	4,554.94	0.00	4,554.94	3,778.25	776.69

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

		अनुसूचित जातियों का कल्याण)					
36.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	325.03	538.40	863.43	644.41	219.02
37.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	15,347.83	2,341.35	17,689.18	13,603.72	4,085.46
38.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	3,030.12	0.00	3,030.12	2,900.97	129.15
39.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	4,259.90	0.00	4,259.90	3,353.76	906.14
<b>योग</b>			<b>2,33,287.59</b>	<b>19,455.24</b>	<b>2,52,742.83</b>	<b>2,02,014.63</b>	<b>50,728.20</b>
<b>राजस्व-भारित</b>							
40.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	54,226.90	0.01	54,226.91	53,910.42	316.49
<b>योग</b>			<b>54,226.90</b>	<b>0.01</b>	<b>54,226.91</b>	<b>53,910.42</b>	<b>316.49</b>
<b>पूँजीगत-दत्तमत</b>							
41.	2	आवास विभाग	1,136.34	5.00	1,141.34	785.62	355.72
42.	9	ऊर्जा विभाग	10,504.31	9,383.93	19,888.24	11,852.56	8,035.68
43.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	605.83	0.00	605.83	360.11	245.72
44.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	16,454.12	668.10	17,122.22	7,844.09	9,278.13
45.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	12,091.25	0.00	12,091.25	11,899.74	191.51
46.	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग )	867.00	5,035.00	5,902.00	4,741.06	1,160.94
47.	25	गृह विभाग (जेल)	384.94	0.00	384.94	244.92	140.02
48.	26	गृह विभाग (पुलिस)	647.81	284.27	932.08	698.08	234.00
49.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	1,574.66	20.55	1,595.21	1,413.26	181.95
50.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	667.92	0.00	667.92	463.05	204.87
51.	37	नगर विकास विभाग	2,489.11	920.00	3,409.11	2,403.55	1,005.56
52.	38	नागरिक उड्डयन विभाग	1,002.00	1,305.00	2,307.00	2,133.60	173.40
53.	40	नियोजन विभाग	1,513.46	759.75	2,273.21	2,022.20	251.01
54.	42	न्याय विभाग	1,458.51	77.15	1,535.66	552.43	983.23
55.	44	पर्यटन विभाग	560.93	30.00	590.93	424.13	166.80
56.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	504.54	0.00	504.54	190.00	314.54
57.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	199.01	40.00	239.01	103.48	135.53
58.	60	वन विभाग	207.87	101.34	309.21	203.31	105.90
59.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	581.56	0.00	581.56	241.48	340.08
60.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	369.51	25.00	394.51	122.89	271.62
61.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	276.18	25.36	301.54	168.87	132.67
62.	79	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ी जातियों का कल्याण)	165.74	5.00	170.74	56.44	114.30
63.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	9,140.95	63.15	9,204.10	5,067.37	4,136.73
64.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	6,995.01	0.00	6,995.01	5,971.49	1,023.52
<b>योग</b>			<b>70,398.56</b>	<b>18,748.60</b>	<b>89,147.16</b>	<b>59,963.73</b>	<b>29,183.43</b>
<b>पूँजीगत-भारित</b>							
65.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	30,463.33	0.01	30,463.34	20,653.20	9,810.14
<b>योग</b>			<b>30,463.33</b>	<b>0.01</b>	<b>30,463.34</b>	<b>20,653.20</b>	<b>9,810.14</b>
<b>महायोग</b>			<b>3,88,376.38</b>	<b>38,203.86</b>	<b>4,26,580.24</b>	<b>3,36,541.98</b>	<b>90,038.26</b>

**परिशिष्ट 2.3**  
**अनवरत बचत वाले अनुदान**  
(सन्दर्भ : प्रस्तर 2.2.2; पृष्ठ 41)

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	बचत की राशि				
			2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
<b>राजस्व-दत्तमत</b>							
1.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	425.39	438.74	828.58	14,633.26	888.77
2.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	399.75	208.61	302.86	573.19	575.80
3.	26	गृह विभाग (पुलिस)	994.09	1,346.41	886.34	1,215.29	374.07
4.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	672.14	938.53	1,088.42	867.16	1,282.19
5.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	105.53	148.01	240.85	228.86	336.93
6.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	210.71	1,404.12	1,263.58	858.14	719.19
7.	36	चिकित्सा विभाग (लोक स्वास्थ्य)	190.08	244.50	281.31	100.12	184.56
8.	37	नगर विकास विभाग	2,762.12	1,390.72	2,751.47	5,574.84	3,451.59
9.	42	न्याय विभाग	330.65	329.12	432.26	482.06	473.88
10.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	815.40	852.81	973.77	1,088.19	1,034.01
11.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	370.04	1,058.88	1,106.73	2,247.92	2,464.72
12.	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के सम्बंध में राहत)	205.51	1,318.61	4,132.50	816.86	1,370.92
13.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	337.40	456.79	599.42	416.46	468.34
14.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	1,265.68	1,384.03	1,778.37	996.61	1,769.10
15.	69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	169.83	181.79	123.86	185.31	101.54
16.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	4,390.54	3,229.85	2,414.62	17,493.77	14,921.22
17.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	787.75	918.15	394.06	620.44	379.82
18.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	422.39	278.80	460.29	451.39	761.39
19.	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	1,612.85	667.45	386.58	702.80	776.69
20.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	2,509.94	2,306.78	1,704.21	5,573.74	4,085.46
21.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	745.95	766.33	102.54	162.39	129.15
22.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	739.30	933.97	1,180.41	701.41	906.14
<b>योग</b>			<b>20,463.04</b>	<b>20,803.00</b>	<b>23,433.03</b>	<b>55,990.21</b>	<b>37,455.48</b>
<b>पूँजीगत -दत्तमत</b>							
23.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	286.17	533.67	432.83	297.74	245.72
24.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	2,017.90	1,669.11	3,300.96	5,179.06	9,278.13
25.	42	न्याय विभाग	153.89	241.77	581.42	855.26	983.23
26.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	640.44	635.44	345.00	106.53	314.54
27.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	356.71	616.56	236.07	167.25	271.62
28.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	1,634.76	1,357.70	2,477.98	1,637.34	4,136.73
<b>योग</b>			<b>5,089.87</b>	<b>5,054.25</b>	<b>7,374.26</b>	<b>8,243.18</b>	<b>15,229.97</b>
<b>महायोग</b>			<b>25,552.91</b>	<b>25,857.25</b>	<b>30,807.29</b>	<b>64,233.39</b>	<b>52,685.45</b>



## परिशिष्ट 2.4

प्रकरण, जिनमें अनुपूरक प्रावधान  
(प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(सन्दर्भ : प्रस्तर 2.2.3; पृष्ठ 41)

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अनुपूरक प्रावधान	मूल प्रावधान के सापेक्ष बचत
<b>राजस्व –दत्तमत</b>						
1.	1	आबकारी विभाग	215.64	214.79	3.00	0.85
2.	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	2,122.45	792.03	100.00	1,330.42
3.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	3,278.28	2,841.26	138.79	437.02
4.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	1,530.35	1,233.12	13.52	297.23
5.	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	92.39	78.87	5.00	13.52
6.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	1,060.82	731.89	8.00	328.93
7.	34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी)	404.80	359.99	2.00	44.81
8.	37	नगर विकास विभाग	10,994.41	7,602.81	60.00	3,391.60
9.	40	नियोजन विभाग	320.52	200.99	3.16	119.53
10.	42	न्याय विभाग	2,175.20	1,745.69	44.37	429.51
11.	45	पर्यावरण विभाग	6.47	5.96	5.00	0.51
12.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	410.25	385.26	1.81	24.99
13.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	7,282.26	5,648.82	831.28	1,633.44
14.	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के सम्बंध में राहत)	1,649.97	580.05	301.00	1,069.92
15.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	2,478.18	715.28	6.21	1,762.90
16.	60	वन विभाग	793.66	608.03	2.70	185.63
17.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेन्शन)	44,592.13	43,443.28	3,031.90	1,148.85
18.	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	306.27	-160.66	10.00	466.93
19.	65	वित्त विभाग (लेखापरीक्षा, अल्प बचत आदि)	313.50	250.03	5.00	63.47
20.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	9,334.72	8,960.44	5.54	374.28
21.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	156.51	117.18	6.63	39.33
22.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	15,347.83	13,603.72	2,341.35	1,744.11
23.	86	सूचना विभाग	383.38	358.48	10.00	24.90
24.	92	संस्कृति विभाग	79.72	62.57	1.27	17.15
<b>योग</b>			<b>1,05,329.71</b>	<b>90,379.88</b>	<b>6,937.53</b>	<b>14,949.83</b>
<b>पूँजीगत –दत्तमत</b>						
25.	2	आवास विभाग	1,136.34	785.62	5.00	350.72
26.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)	6.91	6.37	7.50	0.54
27.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	16,454.12	7,844.09	668.10	8,610.03
28.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	133.82	119.93	8.00	13.89
29.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	157.70	136.05	34.93	21.65

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अनुपूरक प्रावधान	मूल प्रावधान के सापेक्ष बचत
30.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	1,574.67	1,413.26	20.55	161.41
31.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	36.63	36.47	4.99	0.16
32.	37	नगर विकास विभाग	2,489.11	2,403.55	920.00	85.56
33.	42	न्याय विभाग	1,458.51	552.44	77.15	906.07
34.	44	पर्यटन विभाग	560.93	424.13	30.00	136.80
35.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	199.01	103.48	40.00	95.53
36.	60	वन विभाग	207.87	203.31	101.34	4.56
37.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	369.51	122.89	25.00	246.62
38.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	276.18	168.87	25.36	107.31
39.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	34.37	28.93	4.89	5.44
40.	79	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ी जातियों का कल्याण)	165.74	56.44	5.00	109.30
41.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	84.40	40.15	29.40	44.25
42.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	9,140.95	5,067.37	63.15	4,073.58
43.	86	सूचना विभाग	22.47	19.97	11.00	2.50
44.	92	संस्कृति विभाग	77.81	46.22	14.00	31.59
<b>योग</b>			<b>34,587.05</b>	<b>19,579.54</b>	<b>2,095.36</b>	<b>15,007.51</b>
<b>महायोग</b>			<b>1,39,916.76</b>	<b>1,09,959.42</b>	<b>9,032.89</b>	<b>29,957.34</b>

**परिशिष्ट 2.5**  
**निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग**  
(सन्दर्भ : प्रस्तर 2.2.4; पृष्ठ 42)

(₹ लाख में)

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	पुनर्विनियोग	आधिक्य	बचत (-)
1.	1	आबकारी विभाग	2039-001-05	319.65	0.00	60.83
2.			2216-700-03	3.94	0.00	8.61
3.			2039-001-03	165.12	71.72	0.00
4.	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	2852-001-03	1,500.00	0.00	941.27
5.	5	उद्योग विभाग ( हथकरघा एवं ग्रामोद्योग)	2851-001-03	8.34	0.00	0.37
6.	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	2852-800-16	4,995.46	0.00	5,418.73
7.	8	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	2058-001-03	950.00	0.00	67.64
8.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)	2415-004-06	8.49	1.12	0.00
9.			2851-107-06	5.27	0.00	8.50
10.			2401-001-03	69.03	20.76	0.00
11.			2401-001-05	79.32	9.99	0.00
12.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	2402-102-03	5,961.52	0.00	1,827.92
13.			2401-103-03	1,717.25	80.09	0.00
14.			2401-105-03	35.93	0.00	1.77
15.			2401-109-03	1,055.96	387.42	0.00
16.			2415-120-08	156.00	0.00	26.00
17.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	2515-001-03	32.46	0.00	253.35
18.			2515-001-04	23.50	0.00	82.60
19.			2515-102-03	200.00	0.00	8,777.65
20.			2515-102-06	461.53	0.00	76.91
21.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	2070-800-03	124.50	26.85	0.00
22.			2070-800-05	11.50	0.00	2.19
23.			2070-800-06	20.00	64.14	0.00
24.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	2403-103-07	1,246.82	0.00	6.90
25.			2403-106-03	450.61	0.00	188.88
26.			4403-800-04	4,760.00	0.00	8,160.00
27.	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	2405-101-01	799.20	7.26	0.00
28.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	2075-800-04	155.57	0.22	0.00
29.	22	खेल विभाग	2204-001-03	155.00	46.05	0.00
30.			2204-104-13	420.00	0.25	0.00
31.	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	2401-108-04	21.00	0.00	2,478.19
32.	25	गृह विभाग (जेल)	2056-001-03	175.33	0.00	427.20
33.			2056-102-03	47.90	0.00	2.57
34.			2056-800-03	0.23	10.26	0.00
35.			4070-800-08-17	181.00	0.00	181.34

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	पुनर्विनियोग	आधिक्य	बचत (-)
36.			4070-800-16	26.15	0.00	3.35
37.			2055-001-03	210.00	0.00	96.41
38.			2055-003-04	5,337.47	0.00	4,763.44
39.			2055-101-03	251.40	0.00	2,239.79
40.			2055-101-04	885.25	0.00	4,337.97
41.			2055-104-03	110.00	0.00	871.47
42.			2055-104-07	19.30	0.00	251.66
43.			2055-111-03	1.00	0.00	4,483.84
44.			2055-113-04	35.00	0.00	406.87
45.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2055-114-03	5,007.00	0.00	154.04
46.			2055-800-16	4,372.00	0.00	702.91
47.			2070-108-03	150.25	0.00	1,815.42
48.			2245-80-102-03	96.00	0.00	371.42
49.			2055-108-03	1,215.25	704.84	0.00
50.			2055-109-03	1,441.51	0.00	19,386.38
51.			2055-109-07	50.00	1,529.88	0.00
52.			2055-109-13	13,717.29	4,243.18	0.00
53.			4055-207-03	1,293.41	0.00	61.29
54.	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	2235-800-03	172.67	0.00	562.74
55.			2251-200-03	55.94	0.00	31.38
56.			2012-03-090-03	49.55	0.00	175.36
57.			2012-103-03	1.10	0.00	282.85
58.			2012-105-03	0.89	0.00	18.01
59.	29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	2012-108-03	11.00	0.00	11.27
60.			2012-800-03	17.99	0.00	32.99
61.			2012-106-03	3.00	1.00	0.00
62.			2012-106-04	7.00	0.00	3.78
63.			2012-107-03	5.00	0.00	2.20
64.			2210-02-101-03	7.00	0.00	1,129.83
65.			2210-101-04	75.00	0.00	224.94
66.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	2210-02-103-03	44.65	0.00	32.69
67.			2210-05-101-03	31.73	0.00	331.36
68.			2210-05-103-03	4.60	0.00	246.48
69.			2210-102-04	30.00	0.00	384.98
70.	34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी)	2210-04-102-03	272.50	0.00	4,083.77
71.			2210-05-102-03	1,047.93	222.71	0.00
72.	36	चिकित्सा विभाग (लोक स्वास्थ्य)	2210-06-001-04	2,100.00	0.00	435.95
73.	39	भाषा विभाग	2202-05-102-08	2.25	0.00	8.25
74.			2575-02-800-04	11,017.40	0.00	7,124.71
75.	40	नियोजन विभाग	2575-06-800-04	68.60	1.79	0.00
76.			3454-001-03	99.69	0.00	1.95

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	पुनर्विनियोग	आधिक्य	बचत (-)
77.			4575-800-04	30,000.00	0.00	13,698.01
78.			4575-06-102-03	151.08	20.02	0.00
79.			2015-103-05	487.32	0.00	1,305.24
80.	41	निर्वाचन विभाग	2015-106-03	1,039.95	0.00	68.87
81.			2015-106-04	8.48	0.00	0.72
82.			2014-105-03	188.21	0.00	18,927.12
83.	42	न्याय विभाग	2014-102-12	75.00	0.00	40.92
84.			2014-110-03	27.32	0.00	18.03
85.			2014-114-03	94.35	230.60	0.00
86.			3055-800-03	148.50	0.00	149.50
87.	43	परिवहन विभाग	3055-800-05	410.75	0.00	903.74
88.			2059-01-051-03	22.00	13.66	0.00
89.	44	पर्यटन विभाग	3452-80-104-08	103.50	0.00	7.92
90.	45	पर्यावरण विभाग	3435-04-001-03	82.52	0.00	2.43
91.			2203-112-08	42.15	0.00	42.15
92.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	2203-112-15	27.49	0.00	27.49
93.			2203-104-20	14.97	0.00	2.86
94.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2250-800-03	224.79	0.00	10.46
95.			2029-103-07	3,336.45	0.00	5,997.24
96.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	2029-103-08	2,190.37	0.00	982.71
97.			2052-099-03	174.00	0.00	368.10
98.			2235-60-110-05	10.00	365.00	0.00
99.	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	4059-051-21	493.89	213.84	0.00
100.			2052-090-03	6.00	0.00	1,187.70
101.			2059-01-053-08	4.06	0.00	5.06
102.			2059-60-053-03	32.00	0.00	14.94
103.			2059-60-053-05	5.77	0.00	153.03
104.	59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	2216-01-700-09	96.91	0.00	29.99
105.			2013-800-03	50.00	0.00	4.09
106.			2059-60-053-04	50.00	101.40	0.00
107.			4059-01-051-05	218.03	0.00	133.66
108.			4059-80-051-07	138.60	0.00	15.87
109.	60	वन विभाग	2406-02-110-01	156.91	514.37	0.00
110.			4406-01-102-05	595.28	0.00	6,198.12
111.			2049-04-101-03	80.55	0.00	80.54
112.			2049-200-05	4,236.00	1,761.76	0.00
113.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	2049-04-101-05	2,633.64	80.34	0.00
114.			6004-02-101-03	8.95	0.00	27,617.68
115.			6004-800-03	18,978.77	0.00	28,978.77
116.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	2202-01-001-03	125.00	0.00	29.95
117.			2202-107-14	73.50	466.30	0.00
118.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	2204-102-04	796.92	3.51	0.00

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	पुनर्विनियोग	आधिक्य	बचत (-)
119.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	2202-003-10	3.67	19.61	0.00
120.	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	2210-01-102-04	1.00	0.00	11.22
121.			2230-01-001-03	30.89	0.00	34.93
122.			2230-101-04	128.50	0.00	266.85
123.			2230-102-03	14.79	0.00	252.21
124.			2230-103-01	148.20	0.00	1,023.00
125.			2230-103-03	5.51	0.00	88.20
126.			2230-103-04	24.26	0.00	148.41
127.			2230-800-03	1.63	0.00	60.71
128.			2210-01-102-06	261.83	285.72	0.00
129.			78	सचिवालय प्रशासन विभाग	2013-101-03	294.94
130.	2013-101-04	20.00			0.00	9.34
131.	2052-090-11	1,231.61			0.00	76.90
132.	2013-104-03	40.00			0.00	2.34
133.	2220-60-800-03	66.00			0.00	3.74
134.	4059-01-051-03	90.05			0.00	200.30
135.	4216-01-700-03	8.00			0.00	0.66
136.	79	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	2225-03-277-01	3,413.00	0.00	0.06
137.			2235-02-101-06	43.02	0.00	5.35
138.			2235-02-101-14	103.46	0.00	136.74
139.			2235-02-101-03	175.00	246.52	0.00
140.			2235-02-101-07	805.00	884.30	0.00
141.			2235-02-101-31	177.87	0.00	3.06
142.			2235-02-101-32	180.00	0.00	0.95
143.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	2401-789-02	550.20	0.00	4,715.82
144.			2402-789-03	1,036.52	0.00	299.18
145.	86	सूचना विभाग	2220-60-001-03	83.36	0.00	163.02
146.			2220-101-05	4.00	0.00	103.22
147.			2220-102-03	1.00	0.00	222.19
148.			2220-106-03	4.00	0.00	461.54
149.	88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	2052-091-06	3.21	0.00	57.70
150.	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	2040-800-03	1,430.00	0.00	3,304.94
151.	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	2030-03-001-04	200.00	0.00	1,487.57
152.	94		2700-08-101-03	75.00	0.00	28.44
153.			2701-07-101-03	25.00	0.00	30.05
154.			2711-01-103-03	130.00	0.00	19.89
155.			2700-05-101-03	50.00	0.00	0.45
156.			2701-16-101-03	20.00	0.00	2.00
157.			2701-17-101-03	20.00	0.00	0.55

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	पुनर्विनियोग	आधिक्य	बचत (-)
158.		सिंचाई विभाग (निर्माण)	4700-04-051-10	95.00	0.00	651.05
159.			4700-05-051-10	150.00	0.00	2,410.76
160.			4700-06-051-10	200.00	0.00	165.63
161.			4700-08-051-10	293.00	0.00	2,209.30
162.			4700-14-051-11	650.00	0.00	620.59
163.			4700-19-051-10	300.00	0.00	101.44
164.			4700-20-051-10	1,000.00	0.00	348.56
165.			4700-21-051-01	8,000.00	0.00	797.46
166.			4701-05-051-10	100.00	0.00	228.89
167.			4701-34-051-10	2,500.00	0.00	48.68
168.			4701-85-051-09	44.91	0.00	23.30
169.			4711-103-09	10,440.00	0.00	2,265.15
170.			4700-18-051-01	6,000.00	304.62	0.00
171.			4700-97-051-10	4,521.09	0.00	2.61
172.			4701-93-051-16	202.33	106.83	0.00
173.	95		सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	2701-02-001-08	12.00	0.00
<b>योग</b>				<b>1,88,710.03</b>	<b>13,047.93</b>	<b>2,14,394.19</b>

## परिशिष्ट 2.6

## वर्ष 2018-19 में अत्यधिक धनराशियों का समर्पण

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.2.5; पृष्ठ 42)

(₹ लाख में)

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखाशीर्ष)	प्रावधान	समर्पित धनराशि	समर्पित धनराशि (प्रतिशत में)
1.	1	आबकारी विभाग	2039-001-04- जिला कार्यकारी अधिष्ठान	20.00	18.92	95
2.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)	2401-108-09-आलू के लाभदायक मूल्य के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना	50.00	50.00	100
3.			2401-119-03- नर्सरी	3,419.22	2,475.48	72
4.			2401-119-01- केन्द्र प्रायोजित योजनायें	500.00	463.19	93
5.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	2702-80-800-10- जी० आई० एस० मैपिंग	48.40	43.45	90
6.			2702-80-800-12-सामूहिक मिनी ग्रीन नलकूप योजना	504.91	504.91	100
7.			4515-800-04-विधायक निधि से कराये गये कार्यों पर वस्तु एवं सेवाकर की प्रतिपूर्ति	20,160.00	13,413.61	67
8.			4702-102-09-ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग चेकडैम का निर्माण (नाबार्ड पोषित)	61.00	37.60	62
9.			4702-102-10-जल स्रोतों का संवर्धन (नाबार्ड पोषित)	16.00	16.00	100
10.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	2070-800-04-ग्रामीण खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कार तथा प्रशिक्षण	5.00	5.00	100
11.	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	2405-800-02-मछुआरों के कल्याण की राष्ट्रीय योजना	15.45	9.25	60
12.			2405-800-05-राज्य स्तर एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन	21.30	11.92	56
13.			2405-800-12-मछुआरों के कल्याण की निधि	2500.00	2500.00	100
14.			2405-101-04-मत्स्य विकास योजना	450.98	233.19	52
15.			2405-001-03-अधिष्ठान	5.00	5.00	100
16.	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	2425-107-03-प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी में कम्प्यूटरीकरण	3,096.00	3,096.00	100
17.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	2408-01-001-02- स्वयं संचालित एफ.पी. एस. एवं डी.बी.टी. योजनायें	100.00	94.62	95
18.	22	खेल विभाग	2204-104-29-राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं का संगठन	5.00	5.00	100
19.			2204-104-36-एकलव्य क्रीड़ा निधि	2,500.00	1,879.82	75
20.			4202-03-800-04- क्रीड़ा विद्यालय, फतेहपुर	200.00	126.65	63
21.			4202-03-800-10- क्रीड़ा विद्यालय, सहारनपुर	1,000.00	1,000.00	100
22.			4202-03-800-74- पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती, कबड्डी, भारोत्तोलन हाल, वालीबाल, बास्केटबाल और बॉक्सिंग का विकास	100.00	100.00	100



31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखाशीर्ष)	प्रावधान	समर्पित धनराशि	समर्पित धनराशि (प्रतिशत में)
23.			4202-03-800-87-खेल एवं खेल सम्बन्धी क्रियाकलापों का उन्नयन	500.00	400.00	80
24.	38	नागरिक उड्डयन विभाग	3053-01-800-02-रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत वायबिलिटी गैप फण्डिंग	500.00	320.07	64
25.			3053-01-800-03-उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम	15,000.00	13,947.63	93
26.	39	भाषा विभाग	2202-03-104-07-उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान को संस्कृत पंडितों को पुरस्कृत करने हेतु अनुदान	40.00	20.00	50
27.			2202-05-102-09-भोजपुरी अकादमी की स्थापना	22.70	20.45	90
28.	44	पर्यटन विभाग	3452-80-800-11-पटियाली कासगंज में हजरत अमीर खुसरो महोत्सव का आयोजन	5.00	5.00	100
29.			3452-80-800-14-पर्यटन नीति 2018 के अन्तर्गत इकाइयों को प्रोत्साहन	7,000.00	6,390.00	91
30.			5452-80-104-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें	7,000.00	4,118.00	60
31.			5452-80-104-13-जनपद चित्रकूट की योजनायें	100.01	100.01	100
32.			5452-80-104-30-ताज औरियेन्टेशन सेन्टर का निर्माण	300.00	205.67	69
33.			5452-80-104-34-गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स का विकास	2,500.00	2,500.00	100
34.			5452-80-104-36-विन्ध्याचल का पर्यटन विकास	1,000.00	949.40	95
35.			5452-80-104-38-जनपद सीतापुर स्थित नैमिषारण्य का पर्यटन विकास	500.00	274.05	55
36.			5452-80-104-42-उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा मथुरा में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास	10,000.00	5,612.09	56
37.			5452-80-104-44-माननीय अटल बिहारी बाजपेयी की स्मृति में बटेश्वर-आगरा एवं अन्य स्थलों का विकास	1,000.00	909.82	91
38.			5452-80-800-41-जनपद हापुड़ स्थित गढ़मुक्तेश्वर में प्रमुख पर्यटन स्थलों का समेकित विकास	2,000.00	1,199.11	60
39.	45	पर्यावरण विभाग	3435-03-003-04-पर्यावरणीय शोध एवं क्रियान्वयन कार्यक्रम	10.00	10.00	100
40.			3435-04-001-06-मा० एन.जी.टी. द्वारा गठित अनुश्रवण समितियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट एवं रेस्युनरेशन	500.00	447.72	90
41.			3435-04-103-01-केन्द्र आयोजनागत/केन्द्र प्रायोजित योजनायें	50.00	50.00	100
42.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	2203-112-20-अपीलीय प्राधिकरण	59.28	29.98	51
43.			4202-02-105-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें	2,800.00	2,179.60	78
44.			4202-02-105-13-इंजीनियरिंग कालेज कन्नौज	800.00	800.00	100
45.			4202-02-105-16-हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर	900.00	551.28	61
46.			4202-02-105-20-जनपद प्रतापगढ़ में इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना	300.00	300.00	100

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखाशीर्ष)	प्रावधान	समर्पित धनराशि	समर्पित धनराशि (प्रतिशत में)
47.	53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	2070-800-01-केन्द्र आयोजनागत/केन्द्र प्रायोजित योजनायें	60.00	48.00	80
48.	2070-800-03-मौलाना आजाद स्मारक अकादमी को अनुदान		15.00	7.50	50	
49.	2070-800-06-राज्य एकीकरण परिषद् के उपाध्यक्ष को देय सुविधायें		6.40	6.40	100	
50.	2070-800-08-महान विभूतियों के जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव कार्यक्रमों के आयोजन		26.25	16.28	62	
51.	2070-800-09-जिला एकीकरण समितियों पर व्यय		15.00	9.43	63	
52.	2070-800-13-अन्तर्धार्मिक विवाह हेतु प्रोत्साहन (नकद पुरस्कार) (राज्यांश 100 प्रतिशत)		10.00	8.00	80	
53.	68		विधान सभा सचिवालय	7610-201-03-राज्य विधान सभा के सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों को आवास हेतु ऋण	20.00	20.00
54.	7610-202-03-राज्य विधान सभा के सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों को वाहनों की खरीद के लिए ऋण	20.00		20.00	100	
55.	69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	2230-03-003-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें	601.00	601.00	100
56.	2230-03-101-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें		75.00	75.00	100	
57.	2230-03-102-03-प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना		217.82	115.36	53	
58.	2230-03-800-04-राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की ई-कनेक्टिविटी		100.00	100.00	100	
59.	4250-203-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें		610.00	400.00	66	
60.	4250-203-03-अल्प संख्यक बाहुल्य विकास खण्डों एवं अन्य क्षेत्रों में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना		1,800.00	1,192.51	66	
61.	4250-203-11-दस्तकार प्रशिक्षण योजना		10.00	8.01	80	
62.	4250-203-13-प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय भवन का सुदृढीकरण एवं जीर्णोद्धार		300.00	300.00	100	
63.	4250-203-14- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अतिरिक्त व्यवसाय/इकाई खोला जाना		4,500.00	3,580.52	80	
64.	70		विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	2810-60-800-07-ऊर्जा संरक्षण एवं गैर परम्परागत ऊर्जा का प्रोत्साहन	3,000.00	1,500.00
65.	2810-60-800-09-जनपद बहराइच के आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में पेय जल की व्यवस्था हेतु सौर ऊर्जा आधारित आर० ओ० जल संयंत्र की स्थापना	100.00		50.00	50	
66.	4810-102-04-सौर ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन की प्रोत्साहन योजना	1,000.00		730.74	73	
67.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	2202-02-107-09-माध्यमिक स्तर के (कक्षा 9-12) छात्रों को अतिरिक्त छात्रवृत्तियों का प्रावधान	7.19	6.14	85
68.	2202-02-107-11-ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यमिक स्तर के (कक्षा 9-10) प्रतिभावान छात्रों को राष्ट्रीय छात्रवृत्तियाँ		6.00	5.53	92	

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखाशीर्ष)	प्रावधान	समर्पित धनराशि	समर्पित धनराशि (प्रतिशत में)
69.			2202-02-109-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें	1,500.00	1,500.00	100
70.			2202-02-110-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें	1,608.00	1,608.00	100
71.			2202-02-110-05-सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का शैक्षिक भ्रमण	5.00	5.00	100
72.			2202-02-110-08-अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विषय विशेषज्ञों को मानदेय के भुगतान हेतु व्यवस्था	50.00	34.35	69
73.			2202-02-110-11-असेवित विकास खण्डों के लिये निजी प्रबंध तंत्रों द्वारा कन्या विद्यालय की स्थापना हेतु अनावर्तक अनुदान	10.00	10.00	100
74.			2202-02-110-12-एक कन्या विद्यालय सेवित विकास खण्ड की दूसरी न्याय पंचायत में निजी प्रबंध तंत्रों द्वारा कन्या विद्यालयों की स्थापना हेतु अनावर्तक अनुदान (जिला योजना)	50.00	30.00	60
75.			2202-02-800-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें	1,600.00	1,600.00	100
76.			2202-02-800-03-गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में सामूहिक बीमा योजना हेतु राज्य सरकार का अंशदान	23.76	23.76	100
77.			2202-05-103-03-राजकीय संस्कृत विद्यालय	52.02	30.85	59
78.			2202-05-200-03- गैर राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों विदेशी भाषा की शिक्षा	5.60	5.60	100
79.			2202-05-200-04-राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विदेशी भाषा की शिक्षा	5.60	5.60	100
80.			2205-105-04-पुस्तकालय की नीति एवं पद्धति का विकास	24.53	20.06	82
81.			2205-105-06-सार्वजनिक पुस्तकालय को अनुदान	10.00	10.00	100
82.			4202-01-202-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें	29,693.82	26,364.29	89
83.			4202-01-202-15-केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय	10.00	5.00	50
84.			4202-01-202-16-वर्तमान जिला राजकीय पुस्तकालय	50.00	39.89	80
85.			4202-01-202-18-ई-बुक्स का क्रय/ई-लाइब्रेरी की स्थापना	500.00	480.19	96
86.			4202-01-202-23-उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल	10.00	10.00	100
87.			4202-04-105-03-राजकीय जिला पुस्तकालयों के भवनों का निर्माण कार्य	275.00	260.62	95
88.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2071-01-117-04-राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणोत्तर कार्मिकों के लिए टियर-1 खाते में अंशदान	5,000.00	4,007.40	80
89.			2202-03-102-26-सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थ नगर	263.08	174.91	66
90.			2202-03-102-32-इन्टर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल हेतु अनुदान	20.00	20.00	100
91.			2202-03-102-33-इन्टर यूनिवर्सिटी खेल प्रतियोगिता हेतु अनुदान	20.00	20.00	100

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखाशीर्ष)	प्रावधान	समर्पित धनराशि	समर्पित धनराशि (प्रतिशत में)
92.			2202-03-102-48-इम्प्लायमेन्ट ब्यूरो/ गाइडेंस सेल/प्लेसमेन्ट सेल की स्थापना	40.00	40.00	100
93.			2202-03-104-06-राज्य के सहायता प्राप्त विद्यालयों में सेमिनार एवं संगोष्ठी	20.00	17.30	87
94.			2202-03-104-07-प्रदेश में निजी प्रबन्धन तंत्रों/संस्थाओं द्वारा असेवित क्षेत्रों में महाविद्यालय खोलने हेतु अनुदान	1,000.00	1,000.00	100
95.			2202-03-800-02-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	556.36	556.36	100
96.			2202-03-800-12-मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की पारदर्शी ऑनलाइन व्यवस्था	50.00	50.00	100
97.			2202-03-800-13-प्रदेश के महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में रिसर्च एवं डेवलपमेंट	400.00	400.00	100
98.			2202-03-800-17-अहिल्याबाई कन्या निःशुल्क शिक्षा योजना	2,112.00	2,112.00	100
99.			2202-03-800-18-समस्त कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में वाई-फाई सुविधा	5,000.00	5,000.00	100
100.			2202-03-800-19-विश्वविद्यालयों/संस्थानों को चांसलर एवार्ड	16.90	16.90	100
101.			2202-03-800-20-डी.ए.वी. कालेज कानपुर में अटल बिहारी बाजपेयी की स्मृति में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना	500.00	500.00	100
102.			2204-102-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें	1,545.95	1,503.53	97
103.			2204-102-03-छात्र कल्याण निधि से पोषित कार्यक्रमों के लिए अनुदान	10.00	10.00	100
104.			2204-800-03- एक भारत श्रेष्ठ भारत	30.00	30.00	100
105.			2071-01-117-03-राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक कर्मचारियों के टियर-। लेखे में अंशदान	5,000.00	4,556.47	91
106.			4202-01-203-09-राजकीय महाविद्यालयों की भवनों का निर्माण, विस्तार एवं विद्युतीकरण	500.00	300.00	60
107.			4202-01-203-10-ई-बुक्स का कय एवं ई-पुस्तकालय की स्थापना	10.00	10.00	100
108.			4202-01-203-11-सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	366.50	321.49	88
109.			4202-01-203-12-बलिया में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना	500.00	255.08	51
110.			4202-01-203-18- डा० राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ	526.00	526.00	100
111.			4202-01-203-30-सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर	1,969.75	1,969.75	100
112.	74	गृह विभाग (होमगार्ड)	4070-800-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें	409.47	350.04	85
113.			4070-800-08-मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्रों के भवनों का निर्माण	1,500.00	1,500.00	100
114.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	2071-01-117-03-गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों कार्मिकों के नई पेंशन योजना के अन्तर्गत खोले गये टियर -। लेखे में अंशदान	10.00	10.00	100
115.			4202-01-201-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें	1,038.01	1,038.01	100

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखाशीर्ष)	प्रावधान	समर्पित धनराशि	समर्पित धनराशि (प्रतिशत में)
116.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	2202-03-796-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें	57.25	57.25	100
117.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	2202-03-789-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें	114.50	114.50	100
118.			2202-80-789-01-केन्द्रप्रायोजित योजनायें	3,907.37	2,623.64	67
119.			2406-01-789-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें	93.74	79.34	85
120.			4202-01-789-04- जनपद सिद्धार्थ नगर में विश्वविद्यालय की स्थापना	525.00	525.00	100
121.			4202-02-789-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें	402.00	246.90	61
122.			4202-02-789-09-इंजीनियरिंग कॉलेज, कन्नौज	160.00	160.00	100
123.			4202-02-789-14-हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर	200.00	112.82	56
124.			4202-02-789-16-इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्रावासों का निर्माण	300.00	212.64	71
125.			4202-02-789-18-इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रतापगढ़	100.00	100.00	100
126.			4250-789-03-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज, लखनऊ में प्रादेशिक स्टॉफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र	400.00	400.00	100
127.			4406-01-789-04- राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (सी.सी.एल.प्रणाली) (के. 60/रा.40 - के.+रा.)	29.41	16.08	55
128.			4515-789-01- केन्द्र प्रायोजित योजनायें	44,285.00	44,100.00	99
129.			92	संस्कृति विभाग	2205-101-09-कथक केन्द्र, लखनऊ के विकास के लिए अनुदान	64.15
130.	2205-102-03- यश भारती सम्मान एवं पद्म एवार्ड से सम्मानित महानुभावों को पेंशन	500.00			500.00	100
131.	2205-102-09-वृद्ध कलाकारों, लेखकों को मासिक पेंशन	150.00			86.40	58
132.	2205-800-11-कला एवं संस्कृति की शिक्षा, लोक परम्पराओं का वीडियो अभिलेखीकरण, योग्य छात्रों एवं वृद्ध कलाकारों को आर्थिक सहायता योजना	25.00			25.00	100
133.	2205-800-15-लोक कलाकारों को वाद्ययंत्र हेतु अनुदान	100.00			100.00	100
134.	2205-800-16- कल्चरल क्लब की स्थापना	100.00			100.00	100
135.	4202-04-104-03- राज्य अभिलेख	6.00			6.00	100
136.	4202-04-106-09- महापुरुषों की मूर्तियों का निर्माण	10.00			8.50	85
137.	4202-800-01- केन्द्र प्रायोजित योजनायें	1,400.00			1,400.00	100
138.	4202-800-06- भातखण्डे संगीत संस्थान सह विश्वविद्यालय के नये परिसर हेतु भूमि व्यवस्था एवं निर्माण	100.00			100.00	100
139.	4202-800-10- जनपद गौतमबुद्ध नगर में बहुउद्देशीय सांस्कृतिक संकुल केन्द्र का निर्माण	60.00			60.00	100
140.	4202-800-16-अयोध्या, फैजाबाद में अन्तर्राष्ट्रीय रामलीला संकुल की स्थापना	500.00			500.00	100

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखाशीर्ष)	प्रावधान	समर्पित धनराशि	समर्पित धनराशि (प्रतिशत में)
141.			4202-800-33-उ०प्र० राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ परिसर में आर्काइवल गैलरी का निर्माण	400.00	202.44	51
142.			4202-800-42- पं० सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला जी की जन्मस्थली गढ़कोला-उन्नाव में विशाल स्मृति भवन, पुस्तकालय एवं अन्य संरचना	500.00	500.00	100
143.			4202-800-45- मा० अटल बिहारी बाजपेयी की स्मृति में सांस्कृतिक समारोह के आयोजन हेतु स्मृति संकुल	400.00	400.00	100
योग				2,18,951.68 अथवा 2,189.52 करोड़	1,87,339.40 अथवा 1,873.39 करोड़	

## परिशिष्ट 2.7

### वास्तविक बचत से अधिक समर्पण (₹ 50 लाख या अधिक)

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.2.6; पृष्ठ 42)

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	कुल अनुदान	बचत	समर्पित धनराशि	अधिक समर्पित धनराशि
राजस्व-दत्तमत						
1.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	412.06	26.80	29.20	2.40
2.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	9,340.26	379.82	383.01	3.19
3.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	3,504.66	761.39	768.41	7.02
<b>योग</b>			<b>13,256.98</b>	<b>1,168.01</b>	<b>1,180.62</b>	<b>12.61</b>

**परिशिष्ट 2.8**  
**अनुदानों/विनियोगों का विवरण, जिनमें बचत हुई**  
**परन्तु उसका कोई भाग समर्पित नहीं किया गया**  
*(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.2.7; पृष्ठ 42)*

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत	
			राजस्व	पूँजीगत
<b>I-अनुदान</b>				
1.	2	आवास विभाग	291.80	355.72
2.	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	236.13	10.27
3.	4	उद्योग विभाग (खानें एवं खनिज)	4.91	0.62
4.	5	उद्योग विभाग (हथकरघा एवं ग्रामोद्योग)	34.32	0.00
5.	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	1,430.42	98.75
6.	8	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	8.17	0.01
7.	9	ऊर्जा विभाग	0.45	8,035.68
8.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	888.77	245.72
9.	12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग ( भूमि विकास एवं जल संसाधन )	197.80	0.00
10.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	310.75	56.59
11.	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	18.52	38.00
12.	19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	1.69	19.43
13.	20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	7.74	0.00
14.	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	26.84	1.07
15.	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	26.42	1,160.94
16.	25	गृह विभाग (जेल)	62.44	140.02
17.	26	गृह विभाग (पुलिस)	374.07	234.00
18.	27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	2.35	0.00
19.	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	19.36	0.30
20.	30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	0.03	0.00
21.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	445.12	181.95
22.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	1,282.19	204.87
23.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	336.93	5.15
24.	34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी)	46.81	0.01
25.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	719.19	0.17
26.	36	चिकित्सा विभाग (लोक स्वास्थ्य)	184.56	4.37
27.	37	नगर विकास विभाग	3,451.60	1,005.56
28.	40	योजना विभाग	0.00	251.01
29.	41	निर्वाचन विभाग	259.94	2.09
30.	42	न्याय विभाग	473.88	983.23
31.	43	परिवहन विभाग	51.02	10.03
32.	46	प्रशासनिक सुधार विभाग	2.08	0.00
33.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	1,034.01	314.54
34.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	2,464.72	135.53



31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत	
			राजस्व	पूँजीगत
35.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	158.81	16.68
36.	51	राजस्व विभाग (देवीय आपदा के सम्बन्ध में राहत)	1,370.92	14.43
37.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	468.34	51.18
38.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	1,769.10	0.00
39.	56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	0.00	4.73
40.	59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	25.19	42.45
41.	60	वन विभाग	188.34	105.90
42.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें एवं अन्य व्यय)	95.35	57.97
43.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)	4,180.75	94.48
44.	65	वित्त विभाग (लेखापरीक्षा, अल्प बचत आदि)	68.47	0.10
45.	67	विधान परिषद सचिवालय	11.81	1.67
46.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	14,921.22	340.08
47.	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	36.02	0.14
48.	77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	18.39	0.03
49.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	146.79	10.33
50.	79	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ी जातियों का कल्याण)	6.93	114.30
51.	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	776.69	0.00
52.	84	सामान्य प्रशासन विभाग	0.00	8.01
53.	85	जन प्रतिष्ठान विभाग	0.23	0.00
54.	86	सूचना विभाग	34.90	13.50
55.	87	सैनिक कल्याण विभाग	10.33	0.04
56.	88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	31.59	4.10
57.	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	93.70	13.36
58.	90	संस्थागत वित्त विभाग	20.49	0.00
59.	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	32.91	0.00
60.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	129.15	1,023.52
61.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	906.14	0.00
<b>योग</b>			<b>40,197.59</b>	<b>15,412.63</b>
<b>II – विनियोग</b>				
62.	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	0.06	0.00
63.	9	ऊर्जा विभाग	9.37	18.14
64.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)	0.00	1.49
65.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	0.19	0.00
66.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	0.04	0.00
67.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	0.14	0.00
68.	20	कार्मिक विभाग (लोकसेवा आयोग)	0.00	0.10
69.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	0.00	1.54
70.	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	0.02	0.00
71.	25	गृह विभाग (जेल)	0.05	0.00
72.	26	गृह विभाग (पुलिस)	0.09	0.00
73.	29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	5.63	0.00

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत	
			राजस्व	पूँजीगत
74.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	0.02	0.00
75.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	0.14	0.00
76.	36	चिकित्सा विभाग (लोक स्वास्थ्य)	0.02	0.00
77.	42	न्याय विभाग	7.97	5.00
78.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	0.01	0.00
79.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	0.03	0.00
80.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	0.11	0.08
81.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	0.04	0.00
82.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	0.05	2.09
83.	60	वन विभाग	0.14	0.00
84.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवार्ये एवं अन्य व्यय)	316.49	9,810.15
85.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)	15.97	0.00
86.	67	विधान परिषद सचिवालय	0.52	0.00
87.	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	65.30	0.00
88.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	0.00	3.77
89.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	0.35	0.00
<b>योग</b>			<b>422.75</b>	<b>9,842.36</b>
<b>महायोग</b>			<b>40,620.34</b>	<b>25,254.99</b>
<b>राजस्व और पूँजीगत का योग</b>			<b>65,875.33</b>	

**परिशिष्ट 2.9**  
**समर्पित न की गयी ₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक की बचतें**  
(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.2.7; पृष्ठ 43)

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत	समर्पण	बचतें, जिन्हें समर्पित नहीं किया गया
<b>राजस्व – दत्तमत</b>					
1.	2	आवास विभाग	291.80	0.00	291.80
2.	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	236.13	0.00	236.13
3.	4	उद्योग विभाग (खानें एवं खनिज)	4.91	0.00	4.91
4.	5	उद्योग विभाग (हथकरघा एवं ग्रामोद्योग)	34.32	0.00	34.32
5.	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	1,430.42	0.00	1,430.42
6.	8	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	8.17	0.00	8.17
7.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)	132.21	124.96	7.25
8.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	888.77	0.00	888.77
9.	12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	197.80	0.00	197.80
10.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	575.80	49.69	526.11
11.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	4,330.63	10.44	4,320.19
12.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	310.75	0.00	310.75
13.	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्ध विकास )	18.52	0.00	18.52
14.	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	56.69	53.87	2.82
15.	19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	1.69	0.00	1.69
16.	20	कार्मिक विभाग (लोकसेवा आयोग)	7.74	0.00	7.74
17.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	61.39	38.14	23.25
18.	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	26.84	0.00	26.84
19.	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	26.42	0.00	26.42
20.	25	गृह विभाग (जेल)	62.44	0.00	62.44
21.	26	गृह विभाग (पुलिस)	374.07	0.00	374.07
22.	27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	2.35	0.00	2.35
23.	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	19.36	0.00	19.36
24.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	445.12	0.00	445.12
25.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	1,282.19	0.00	1,282.19
26.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	336.93	0.00	336.93
27.	34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी)	46.81	0.00	46.81
28.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	719.19	0.00	719.19
29.	36	चिकित्सा विभाग (लोक स्वास्थ्य)	184.56	0.00	184.56
30.	37	नगर विकास विभाग	3,451.60	0.00	3,451.60
31.	39	भाषा विभाग	9.76	6.14	3.62
32.	40	नियोजन विभाग	122.68	3.45	119.23
33.	41	निर्वाचन विभाग	259.94	0.00	259.94
34.	42	न्याय विभाग	473.88	0.00	473.88
35.	43	परिवहन विभाग	51.02	0.00	51.02

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत	समर्पण	बचतें, जिन्हें समर्पित नहीं किया गया
36.	46	प्रशासनिक सुधार विभाग	2.08	0.00	2.08
37.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	1,034.01	0.00	1,034.01
38.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	2,464.72	0.00	2,464.72
39.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	158.81	0.00	158.81
40.	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के सम्बन्ध में राहत)	1,370.92	0.00	1,370.92
41.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	468.34	0.00	468.34
42.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	1,769.10	0.00	1,769.10
43.	59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	25.19	0.00	25.19
44.	60	वन विभाग	188.34	0.00	188.34
45.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	95.35	0.00	95.35
46.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)	4,180.75	0.00	4,180.75
47.	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	476.93	88.11	388.82
48.	65	वित्त विभाग (लेखापरीक्षा, अल्प बचत आदि )	68.47	0.00	68.47
49.	67	विधान परिषद सचिवालय	11.81	0.00	11.81
50.	70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	23.66	18.38	5.28
51.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	14,921.22	0.00	14,921.22
52.	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	36.02	0.00	36.02
53.	77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	18.39	0.00	18.39
54.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	146.79	0.00	146.79
55.	79	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ी जातियों का कल्याण)	6.93	0.00	6.93
56.	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	776.69	0.00	776.69
57.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	219.02	1.71	217.31
58.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	4,085.46	36.94	4,048.52
59.	84	सामान्य प्रशासन विभाग	3.29	0.00	3.29
60.	86	सूचना विभाग	34.90	0.00	34.90
61.	87	सैनिक कल्याण विभाग	10.33	0.00	10.33
62.	88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	31.59	0.00	31.59
63.	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	93.70	0.00	93.70
64.	90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	20.49	0.00	20.49
65.	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	32.91	0.00	32.91
66.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	129.15	0.00	129.15
67.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	906.14	0.00	906.14
<b>योग</b>			<b>50,294.40</b>	<b>431.83</b>	<b>49,862.57</b>
<b>पूँजीगत-दत्तमत</b>					
68.	2	आवास विभाग	355.72	0.00	355.72
69.	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	10.27	0.00	10.27
70.	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	98.75	0.00	98.75
71.	9	ऊर्जा विभाग	8,035.68	0.00	8,035.68

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत	समर्पण	बचते, जिन्हें समर्पित नहीं किया गया
72.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)	8.04	4.66	3.38
73.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	245.72	0.00	245.72
74.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	9,278.13	141.06	9,137.07
75.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	21.89	0.02	21.87
76.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	56.59	0.00	56.59
77.	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्ध विकास )	38.00	0.00	38.00
78.	19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	19.43	0.00	19.43
79.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	191.51	54.14	137.37
80.	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	1.07	0.00	1.07
81.	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	1,160.94	0.00	1,160.94
82.	25	गृह विभाग (जेल)	140.02	0.00	140.02
83.	26	गृह विभाग (पुलिस)	234.00	0.00	234.00
84.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	181.95	0.00	181.95
85.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	204.87	0.00	204.87
86.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	5.15	0.00	5.15
87.	36	चिकित्सा विभाग (लोक स्वास्थ्य)	4.37	0.00	4.37
88.	37	नगर विकास विभाग	1,005.56	0.00	1,005.56
89.	40	नियोजन विभाग	251.01	0.00	251.01
90.	41	निर्वाचन विभाग	2.09	0.00	2.09
91.	42	न्याय विभाग	983.23	0.00	983.23
92.	43	परिवहन विभाग	10.03	0.00	10.03
93.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	314.54	0.00	314.54
94.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	135.53	0.00	135.53
95.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	16.68	0.00	16.68
96.	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के सम्बन्ध में राहत)	14.43	0.00	14.43
97.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	51.18	0.00	51.18
98.	56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	4.73	0.00	4.73
99.	59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	42.45	0.00	42.45
100.	60	वन विभाग	105.90	0.00	105.90
101.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	57.97	0.00	57.97
102.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)	94.48	0.00	94.48
103.	67	विधान परिषद सचिवालय	1.67	0.00	1.67
104.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	340.08	0.00	340.08
105.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	10.33	0.00	10.33
106.	79	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ी जातियों का कल्याण)	114.30	0.00	114.30
107.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	73.65	4.39	69.26
108.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	4,136.73	481.62	3,655.11
109.	84	सामान्य प्रशासन विभाग	8.01	0.00	8.01
110.	86	सूचना विभाग	13.50	0.00	13.50

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत	समर्पण	बचते, जिन्हें समर्पित नहीं किया गया
111.	88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	4.10	0.00	4.10
112.	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	13.36	0.00	13.36
113.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	1,023.52	0.00	1,023.52
योग			<b>29,121.16</b>	<b>685.89</b>	<b>28,435.27</b>
<b>राजस्व- भारत</b>					
114.	9	ऊर्जा विभाग	9.37	0.00	9.37
115.	29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	5.63	0.00	5.63
116.	42	न्याय विभाग	7.97	0.00	7.97
117.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	316.49	0.00	316.49
118.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	15.97	0.00	15.97
119.	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	65.30	0.00	65.30
योग			<b>420.73</b>	<b>0.00</b>	<b>420.73</b>
<b>पूंजीगत – भारत</b>					
120.	9	ऊर्जा विभाग	18.14	0.00	18.14
121.	42	न्याय विभाग	5.00	0.00	5.00
122.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	2.09	0.00	2.09
123.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	9,810.15	0.00	9,810.15
124.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	3.77	0.00	3.77
योग			<b>9,839.15</b>	<b>0.00</b>	<b>9,839.15</b>
महायोग			<b>89,675.44</b>	<b>1,117.72</b>	<b>88,557.72</b>

**परिशिष्ट 3.1**  
**रोकड़बही अपूर्ण रहना/अनुरक्षण न किया जाना**  
(संदर्भ: प्रस्तर 3.4; पृष्ठ 49)

क्र. स.	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	इकाई का नाम	रोकड़बही अपूर्ण/ अनुरक्षण न किये जाने की अवधि	(₹ करोड़ में)
				रोकड़बही में अंकित नहीं की गई धनराशि
1.	09/2019-20	कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, शामली	04/2015 से 03/2019	159.73
2.	08/2019-20	कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, हापुड़	04/2013 से 03/2019	293.10
3.	10/2019-20	कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, जे.पी.नगर	09/2016 से 03/2019	149.04
4.	11/2019-20	कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, बागपत	04/2016 से 03/2019	274.22
5.	12/2019-20	कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, सम्भल	05/2014 से 03/2019	204.50
6.	38/2019-20	कार्यालय वित्त एवं लेखा (माध्यमिक शिक्षा), अमरोहा	11/2017 से 03/2019	19.82
7.	60/2019-20	कार्यालय वित्त एवं लेखा (माध्यमिक शिक्षा), बस्ती	04/2017 से 03/2019	28.09
8.	22/2019-20	कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, चन्दौली	04/2015 से 03/2019	206.25
9.	21/2019-20	कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर देहात	04/2016 से 03/2019	191.99
10.	35/2019-20	कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, कौशाम्बी	04/2014 से 03/2019	206.26
11.	36/2019-20	कार्यालय वित्त एवं लेखा (माध्यमिक शिक्षा), कौशाम्बी	04/2014 से 03/2019	21.86
12.	40/2019-20	कार्यालय वित्त एवं लेखा (माध्यमिक शिक्षा), सम्भल	04/2017 से 03/2019	12.68
13.	57/2019-20	कार्यालय वित्त एवं लेखा (माध्यमिक शिक्षा), फतेहपुर	04/2016 से 03/2019	37.29
14.	41/2019-20	कार्यालय जिला युवा कल्याण, सम्भल	04/2014 से 03/2019	1.74
15.	01/2019-20	कार्यालय वित्त एवं लेखा (बेसिक शिक्षा), हापुड़	07/2016 से 03/2019	365.78
16.	82/2019-20	कार्यालय वित्त एवं लेखा (बेसिक शिक्षा), गोंडा	09/2018 से 03/2019	406.79
17.	87/2019-20	कार्यालय वित्त एवं लेखा (बेसिक शिक्षा), उरई, जालौन	10/2018 से 03/2019	203.31
18.	11/2019-20	राजकीय पॉलिटेक्निक, बिजनौर	04/2014 से 03/2019	19.80
19.	85/2019-20	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गाजीपुर	07/2011 से 03/2019	8.44
20.	15/2019-20	कार्यालय जेल अधीक्षक, सोनभद्र	01/2017 से 03/2019	9.32
21.	20/2019-20	कार्यालय प्रशासनिक अधिकारी, चकबन्दी, मैनपुरी	04/2014 से 03/2019	33.24
22.	22/2019-20	कार्यालय जिला न्यायाधीश, गाजियाबाद	04/2013 से 03/2019	148.25
23.	30/2019-20	कार्यालय जिला न्यायाधीश, वाराणसी	04/2015 से 03/2019	105.87
24.	26/2019-20	कार्यालय मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, मथुरा	11/2018 से 03/2019	7.10
25.	28/2019-20	कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, हरदोई	03/2015 से 03/2019	10.16
26.	56/2019-20	कार्यालय जिला खाद्य विपणन अधिकारी, सीतापुर	04/2017 से 03/2019	6.32
27.	95/2019-20	कार्यालय जिला खाद्य विपणन अधिकारी, कानपुर देहात	04/2014 से 03/2019	9.71
28.	105/2019-20	कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, वाराणसी	04/2015 से 03/2019	1.47
29.	64/2019-20	कार्यालय क्षेत्रीय वरिष्ठ लेखाधिकारी (खाद्य), मुरादाबाद	04/2013 से 03/2019	42.35

**परिशिष्ट 3.2**  
**विभागवार/अवधिवार लम्बित प्रकरणों का विवरण**  
**(जिनमें अन्तिम कार्यवाही मार्च 2019 तक लम्बित थी)**

(संदर्भ: प्रस्तर 3.9; पृष्ठ 54)

(कोष्ठक में आँकड़ ₹ लाख में प्रदर्शित हैं)

क्र० सं०	विभाग का नाम	5 वर्ष तक	5 से 10 वर्ष तक	10 से 15 वर्ष तक	15 से 20 वर्ष तक	20 से 25 वर्ष तक	25 वर्ष से अधिक	प्रकरणों का योग
1.	कृषि विभाग	-	-	2(7.44)	-	-	1(0.18)	3(7.62)
2.	पशुपालन विभाग	-	-	-	2(3.46)	6(1.18)	8(1.91)	16(6.55)
3.	सहकारिता विभाग	-	-	-	-	2(1.45)	-	2(1.45)
4.	शिक्षा विभाग	-	7(166.16)	-	1(5.00)	-	-	8(171.16)
5.	मत्स्य विभाग	-	1(1.01)	-	-	-	2(1.60)	3(2.61)
6.	खाद्य एवं रसद विभाग	-	-	1(3.06)	-	-	8(25.72)	9(28.78)
7.	सिंचाई विभाग	-	6(110.96)	10(0.56)	5(3.60)	20(5.91)	-	41(121.03)
8.	न्याय विभाग	-	-	-	1(4.44)	-	-	1(4.44)
9.	भूमि अध्याप्ति विभाग	-	-	-	-	-	3(331.78)	3(331.78)
10.	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	-	-	-	-	1(3.87)	10(12.02)	11(15.89)
11.	पुलिस विभाग	-	2(4.00)	-	-	-	4(4.10)	6(8.10)
12.	पी.ए.सी.	-	-	-	1(47.48)	-	1(0.51)	2(47.99)
13.	लोक निर्माण विभाग	-	4(111.96)	4(34.86)	1(0.98)	-	-	9(147.80)
14.	राजस्व विभाग	-	1(6.68)	-	1(1.72)	-	3(6.09)	5(14.49)
15.	ग्राम्य विकास विभाग	-	-	-	-	2(1.21)	7(2.07)	9(3.28)
16.	समाज कल्याण विभाग	-	-	-	-	1(0.25)	2(0.70)	3(0.95)
17.	प्राविधिक शिक्षा विभाग	-	-	-	1(11.59)	-	-	1(11.59)
18.	बाट एवं माप विभाग	-	-	-	-	-	1(1.01)	1(1.01)
19.	उद्यान विभाग	-	-	1(3.59)	-	-	-	1(3.59)
20.	वित्त विभाग	-	-	-	-	-	1(0.67)	1(0.67)
	<b>योग</b>	-	<b>21(400.77)</b>	<b>18(49.51)</b>	<b>13(78.27)</b>	<b>32(13.87)</b>	<b>51(388.36)</b>	<b>135(930.78)</b>



### परिशिष्ट 3.3

## चोरी, दुर्विनियोग, हानि एवं गबन के कारण राज्य सरकार को हुई क्षति का विभागवार/श्रेणीवार विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 3.9; पृष्ठ 54)

(₹ लाख में)

क्र० सं०	विभाग का नाम	चोरी के प्रकरण		दुर्विनियोग के प्रकरण		शासकीय सामग्रियों की हानि के प्रकरण		गबन के प्रकरण		योग	
		प्रकरण की संख्या	धनराशि	प्रकरण की संख्या	धनराशि	प्रकरण की संख्या	धनराशि	प्रकरण की संख्या	धनराशि	प्रकरण की संख्या	धनराशि
1.	कृषि विभाग	-	-	1	5.45	2	2.17	-	-	3	7.62
2.	पशुपालन विभाग	11	1.78	-	-	3	1.55	2	3.22	16	6.55
3.	सहकारिता विभाग	1	1.28	-	-	-	-	1	0.17	2	1.45
4.	शिक्षा विभाग	3	6.60	2	59.41	-	-	3	105.15	8	171.16
5.	मत्स्य विभाग	-	-	-	-	1	1.23	2	1.38	3	2.61
6.	खाद्य एवं रसद विभाग	-	-	-	-	4	10.15	5	18.63	9	28.78
7.	सिंचाई विभाग	33	15.84	3	29.72	3	5.28	2	70.19	41	121.03
8.	न्याय विभाग	-	-	-	-	-	-	1	4.44	1	4.44
9.	भूमि अध्याप्ति विभाग	-	-	2	5.78	-	-	1	326.00	3	331.78
10.	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	6	4.13	-	-	1	1.09	4	10.67	11	15.89
11.	पुलिस विभाग	-	-	-	-	2	4.00	4	4.10	6	8.10
12.	पी.ए.सी.	-	-	-	-	-	-	2	47.99	2	47.99
13.	लोक निर्माण विभाग	3	1.63	-	-	6	146.17	-	-	9	147.80
14.	राजस्व विभाग	-	-	-	-	-	-	5	14.49	5	14.49
15.	ग्राम्य विकास विभाग	4	0.94	-	-	1	0.14	4	2.20	9	3.28
16.	समाज कल्याण विभाग	-	-	-	-	-	-	3	0.95	3	0.95
17.	प्राविधिक शिक्षा विभाग	-	-	1	11.59	-	-	-	-	1	11.59
18.	बाट एवं माप विभाग	1	1.01	-	-	-	-	-	-	1	1.01
19.	उद्यान विभाग	-	-	-	-	-	-	1	3.59	1	3.59
20.	वित्त विभाग	-	-	-	-	-	-	1	0.67	1	0.67
योग		62	33.21	9	111.95	23	171.78	41	613.84	135	930.78

### परिशिष्ट 3.4

वर्ष 2018-19 में विभागवार निस्तारित/अपलेखित प्रकरणों का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 3.9; पृष्ठ 54)

(₹ लाख में)

क्र० सं०	विभाग का नाम	प्राधिकारी	संक्षिप्त विवरण	प्रकरणों की संख्या	धनराशि
1	समाज कल्याण विभाग, जिला पीलीभीत	उत्तर प्रदेश सरकार	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में गबन एवं वेतन का अधिक भुगतान	1	4.44
				योग	4.44

### परिशिष्ट 3.5

विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखाओं का अन्तिमीकरण और निवेशों का विवरण  
(संदर्भ: प्रस्तर 3.10; पृष्ठ 55)

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	उपक्रम का नाम	लेखाओं के अन्तिमीकरण का वर्ष	अद्यतन अन्तिम लेखे के अनुसार निवेश
<b>सिंचाई विभाग</b>			
1.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, कानपुर	2018-19	2.76
2.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, झाँसी	2018-19	14.08
3.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, बरेली	2018-19	10.61
4.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, मेरठ	2018-19	5.69
5.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, गोरखपुर	2018-19	0.97
6.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, इलाहाबाद	2018-19	4.86
<b>खाद्य एवं रसद विभाग</b>			
7.	खाद्य आयुक्त एवं मुख्य लेखाधिकारी	2013-14	3,490.22
<b>पशुपालन विभाग</b>			
8.	उप निदेशक, पशुधन फार्म निगम	2015-16	32.61
<b>स्वास्थ्य विभाग</b>			
9.	उप निदेशक, राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी मेडिसिन विभाग	1987-88	उपलब्ध नहीं
<b>योग</b>			<b>3,561.80</b>

## परिशिष्ट 3.6

राज्य सरकार द्वारा उन क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश जिनके लेखे दिनांक 30.09.2019 तक बकाये थे

(संदर्भ: प्रस्तर 3.11; पृष्ठ 56 एवं 57)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पी.एस.यू. का नाम	अवधि जब तक के लेखों का अन्तिमीकरण हुआ	अवधि जब तक के लेखे अन्तिमीकरण हेतु लम्बित	अद्यतन अन्तिमीकृत लेखे के अनुसार प्रदत्त पूंजी	पी.एस.यू. के लेखों के बकाये अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त बजटीय समर्थन/प्रत्याभूति					
					इक्विटी	ऋण	पूंजीगत अनुदान	अन्य अनुदान	सब्सिडी	प्रत्याभूति
1.	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17 से 2018-19	230.42	3.75	0.00	0.00	0.00	73.62	0.00
2.	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	2013-14	2014-15 से 2018-19	5.19	0.00	0.00	0.00	15.14	0.00	0.00
3.	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	2003-04	2004-05 से 2018-19	5.25	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16 से 2018-19	6.92	0.00	0.00	12.95	0.00	0.00	0.00
5.	झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2015-16	2016-17 से 2018-19	0.00	0.00	0.00	33.00	3.00	0.00	0.00
6.	उत्तर प्रदेश राज्य एग्री औद्योगिक निगम लिमिटेड	2010-11	2011-12 से 2018-19	46.30	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	उत्तर प्रदेश प्रादेशीय औद्योगिक एवं निवेश निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18 से 2018-19	135.58	0.00	237.37	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17 से 2018-19	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
9.	उत्तर प्रदेश राज्य कताई कम्पनी लिमिटेड	2016-17	2017-18 से 2018-19	93.24	0.00	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16 से 2018-19	1,648.31	0.00	743.00	0.00	0.00	0.00	133.96
11.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कारपोरेशन लिमिटेड	2016-17	2017-18 से 2018-19	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
12.	उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प एवं विपणन विकास निगम लिमिटेड	2007-08	2008-09 से 2018-19	7.24	0.00	5.00	0.00	2.68	0.00	0.00
13.	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	2015-16	2016-17 से 2018-19	1.50	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
14.	लखनऊ नगर परिवहन सेवा लिमिटेड	2008-09	2009-10 से 2018-19	0.00	17.84	0.00	21.52	51.73	0.00	0.00
15.	मेरठ नगर परिवहन सेवा लिमिटेड	2010-11	2011-12 से 2018-19	0.05	0.00	0.00	0.00	17.12	0.00	0.00
16.	इलाहाबाद नगर परिवहन सेवा लिमिटेड	2017-18 <sup>#</sup>	2018-19	4.91	0.00	0.00	0.00	19.17	0.00	0.00
17.	कानपुर नगर परिवहन सेवा लिमिटेड	2009-10	2010-11 से 2018-19	0.00	0.05	0.00	0.00	47.42	0.00	0.00

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	पी.एस.यू. का नाम	अवधि जब तक के लेखों का अन्तिमीकरण हुआ	अवधि जब तक के लेखे अन्तिमीकरण हेतु लम्बित	अद्यतन अन्तिमीकृत लेखे के अनुसार प्रदत्त पूंजी	पी.एस.यू. के लेखों के बकाये अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त बजटीय समर्थन/प्रत्याभूति					
					इक्विटी	ऋण	पूंजीगत अनुदान	अन्य अनुदान	सब्सिडी	प्रत्याभूति
18.	वाराणसी नगर परिवहन सेवा लिमिटेड	2009-10	2010-11 से 2018-19	0.00	0.05	0.00	0.00	20.68	0.00	0.00
19.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यू.पी.आर.वी.यू.एन.एल.)	2017-18 <sup>#</sup>	2018-19	10,796.79	1,508.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,326.68
20.	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड (यू.पी.पी.टी.सी.एल.)	2017-18 <sup>#</sup>	2018-19 <sup>##</sup>	12,494.42	1,565.65	0.00	0.00	0.00	95.78	0.00
21.	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17 से 2018-19	1.07	0.00	0.00	1.31	3.29	0.00	0.00
22.	उत्तर प्रदेश जल निगम	2016-17	2017-18 से 2018-19	0.00	0.00	0.00	1,679.74	0.00	0.00	0.00
23.	उत्तर प्रदेश चिकित्सकीय आपूर्ति निगम लिमिटेड	(मार्च 2018 में समाविष्ट)	2018-19	2.66	5.16	0.00	0.00	353.34	0.00	0.00
<b>महायोग</b>				<b>25,495.85</b>	<b>3,118.03</b>	<b>996.52</b>	<b>1,748.52</b>	<b>665.57</b>	<b>169.40</b>	<b>4,460.64</b>
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कुल बजटीय सहायता जिनके लेखे (2017-18 तक) 2018-19 में प्राप्त नहीं हुए थे (महायोग में से क्रम संख्या 23 को घटाय)					<b>3,112.87</b>	<b>996.52</b>	<b>1,748.52</b>	<b>312.23</b>	<b>169.40</b>	<b>4,460.64</b>
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कुल बजटीय सहायता जिनके लेखे मई 2020 तक बकाया थे (महायोग में से क्रम संख्या 20 को घटाय)					<b>1,552.38</b>	<b>996.52</b>	<b>1,748.52</b>	<b>665.57</b>	<b>73.62</b>	<b>4,460.64</b>

#इन पी.एस.यू. के वर्ष 2017-18 के लेखे वित्तीय वर्ष 2018-19 के पश्चात् प्राप्त हुए थे।

# #वर्ष 2018-19 के लेखे अक्टूबर 2019 में प्राप्त हुए थे।

### परिशिष्ट 3.7

#### लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से लाभांश

(संदर्भ: प्रस्तर 3.12; पृष्ठ 57)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	लेखे की अवधि	निवल लाभ	संग्रहित लाभ	प्रदत्त पूंजी (राज्य सरकार)	घोषित होने वाला लाभांश	घोषित लाभांश
1	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2018-19	123.75	1,173.67	12,049.55	602.48	0.00
2	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	2010-11	10.86	51.37	5.50	0.28	0.25
3	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	2013-14	0.36	2.07	5.19	0.26	0.00
4	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड	2016-17	24.62	110.77	6.40	0.32	0.64
5	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2013-14	95.22	573.43	24.08	1.20	1.20
6	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	2013-14	82.47	882.96	1.00	0.05	0.20
7	उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (उ.प्र. समाज कल्याण निर्माण निगम लि. के रूप में पूर्व में जाना जाता था)	2016-17	1.62	73.16	0.15	0.01	0.02
8	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	2015-16	24.13	182.21	15.00	0.75	3.61
9	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड	2016-17	0.89	6.18	87.66	4.38	0.09
10	उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कारपोरेशन लिमिटेड	2016-17	4.35	11.02	1.00	0.05	0.05
11	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2017-18	49.08	267.13	0.43	0.02	0.02
12	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	2015-16	0.11	5.36	1.07	0.05	0.05
13	उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद	2018-19	0.62	1.06	0.05	0.003	0.00
14	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	2016-17	45.65	500.00	13.00	0.65	2.16
15	उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	2010-11	0.09	0.01	1.23	0.06	0.00
16	श्रीटॉन इण्डिया लिमिटेड	2017-18	0.51	3.48	7.12	0.36	0.00
17	उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2008-09	9.97	0.50	5.96	0.30	0.00
योग			<b>474.30</b>	<b>3,844.38</b>	<b>12,224.39</b>	<b>611.22</b>	<b>8.29</b>

## परिशिष्ट 4 शब्दावली (अतिरिक्त आंकड़े)

### गणना का आधार

पद	गणना का आधार
वृद्धि दर (आर.ओ.जी.)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की धनराशि} / \text{विगत वर्ष की धनराशि}) - 1] * 100$
विकास पर व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य द्वारा औसत ब्याज भुगतान	$\text{ब्याज भुगतान} / [(\text{विगत वर्ष की राजकोषीय देयताएं} + \text{वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं}) / 2] * 100$
बकाया ऋण से ब्याज प्राप्ति का प्रतिशत	$\text{प्राप्त ब्याज} / [(\text{प्रारम्भिक अवशेष} + \text{ऋण एवं अग्रिम का अन्तिम अवशेष}) / 2] * 100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियां - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्तियां - विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान

## पदों की व्याख्या

पद	व्याख्या
विनियोग लेखे	विधान सभा द्वारा प्रत्येक दत्तमत अनुदानों एवं भारत विनियोगों के अन्तर्गत बजट अनुदान में प्राधिकृत कुल निधियों (मूल एवं अनुपूरक) की धनराशि की तुलना में प्रत्येक के विरुद्ध व्यय धनराशि एवं प्रत्येक अनुदान या विनियोग के अन्तर्गत बचत या आधिक्य का विवरण विनियोग लेखे में होता है। अनुदान से अधिक किसी भी व्यय का विधायिका द्वारा विनियमन अपेक्षित होता है।
स्वायत्त निकाय	जब कभी सरकारी व्यवस्था से अलग कुछ सीमा तक स्वतंत्रता एवं सरकारी कार्य प्रणाली के दिन-प्रतिदिन के हस्तक्षेप के बगैर, लचीलेपन के साथ कुछ क्रियाओं को संपादित करने की आवश्यकता महसूस होती है तब स्वायत्त निकायों (प्रायः पंजीकृत समितियाँ या सांविधिक निगमों) की स्थापना की जाती है।
वचनबद्ध व्यय	राजस्व लेखों पर मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशन एवं सब्सिडी, जिस पर वर्तमान कार्यकारिणी का सीमित नियंत्रण होता है, राज्य सरकार के वचनबद्ध व्यय होते हैं।
आकस्मिक देयतायें	किसी के द्वारा भविष्य में घटने वाली घटनाओं के परिणामस्वरूप आकस्मिक देयताओं का सृजन किया/ नहीं किया जा सकता है जैसे न्यायालयी प्रकरण।
विकास व्यय	व्ययों के आँकड़ों का विश्लेषण विकास एवं गैर विकास के कार्यों पर हुए व्यय में विभाजित किया गया है। राजस्व लेखा पूंजीगत परिव्यय एवं ऋण तथा अग्रिमों से संबंधित व्यय को सामाजिक सेवा, आर्थिक सेवा एवं सामान्य सेवाओं में विभाजित किया गया है। वृहद् रूप से सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर किया गया व्यय विकास व्यय होता है जबकि सामान्य सेवाओं पर किया गया व्यय गैर विकास व्यय है।
ऋण संवहनीयता	राज्य द्वारा ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात को स्थिर रखने की क्षमता को ऋण संवहनीयता के रूप में परिभाषित किया जाता है, यह ऋण वापसी की क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। तरल संपत्तियों की पर्याप्तता, चालू या वचनबद्ध बाध्यताओं को पूरा करने तथा अतिरिक्त उधारी की लागत तथा उधारी के प्रतिफल में संतुलन बनाये रखने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। इसका अर्थ यह है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि का ऋण वापसी की क्षमता से सुमेल होना चाहिए।
ऋण स्थिरता	यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, ब्याज की लागत दर या सार्वजनिक उधारी से अधिक है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात संभवतः स्थिर होगा। बशर्ते प्राथमिक अवशेष या तो शून्य या धनात्मक या मामूली ऋणात्मक हो।
आन्तरिक ऋण	भारत में लोगों द्वारा प्राप्त नियमित ऋणों को आन्तरिक ऋण कहते हैं। जिसे "भारत में एकत्र ऋण" भी कहा जाता है। यह समेकित निधि को क्रेडिट किये जाने वाले ऋण तक सीमित होता है।
उधार निधियों की निवल उपलब्धता	उधार निधियों की निवल उपलब्धता, ऋण विमोचन (मूलधन+ब्याज भुगतान) एवं कुल ऋण प्राप्तियों के अनुपात के रूप में परिभाषित है तथा उधार निधियों की निवल उपलब्धता प्रदर्शित करती है कि ऋण प्राप्तियों का किस सीमा तक ऋण विमोचन हेतु प्रयोग किया गया है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	राजस्व व्यय से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राथमिक राजस्व व्यय आता है।
प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + ऋण तथा अग्रिम
प्राथमिक राजस्व घाटा/आधिक्य	गैर ऋण प्राप्तियाँ - प्राथमिक राजस्व व्यय
प्राथमिक घाटा/आधिक्य	ब्याज रहित राजकोषीय घाटे से प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। इसकी इस प्रकार भी व्याख्या की जा सकती है कि राज्य का ब्याज रहित व्यय राजस्व प्राप्तियों एवं गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से अधिक था।



पद	व्याख्या
लोक लेखा समिति	विधान सभा द्वारा गठित समिति जो भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक के, राज्य के विनियोग लेखों, राज्य के वार्षिक वित्तीय लेखों या इस प्रकार के अन्य लेखों या वित्तीय मामलों, जिसकी जाँच करना यह समिति आवश्यक समझे, की जाँच करें।
पुनर्विनियोग	मूल विनियोग के इकाई से अन्य उसी प्रकार की इकाई को धनराशि का हस्तांतरण।
सिंकिंग फण्ड (निक्षेप निधि)	सरकार द्वारा एक निधि की स्थापना अपने ऋणों से मुक्ति हेतु की जाती है जिसमें समयान्तर्गत धन आरक्षित किया जाता है।
गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता	वृद्धिमान ब्याज देयताओं एवं वृद्धिमान प्राथमिक व्यय को आच्छादित करने के आधार पर राज्य की वृद्धिमान गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता सुनिश्चित होती है। यदि वृद्धिमान गैर-ऋण प्राप्तियाँ वृद्धिमान ब्याज भार एवं वृद्धिमान प्राथमिक व्यय को वहन कर लेती है तो ऋण की संवहनीयता में पर्याप्त मात्रा में मदद मिल सकेगी।

## प्रथमाक्षरी

प्रथमाक्षरी	पूर्ण विस्तार
ए सी बिल	संक्षिप्त आकस्मिक बिल
ए ई	कुल व्यय
सी ए जी	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
सी ई	पूँजीगत व्यय
सी एस एफ	समेकित निक्षेप निधि
डी सी बिल	विस्तृत आकस्मिक बिल
एफ आर बी एम अधिनियम	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम
जी डी पी	सकल घरेलू उत्पाद
जी ओ आई	भारत सरकार
जी एस डी पी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
जी एस टी	वस्तु एवं सेवा कर
आई जी एस टी	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर
एम एच	मुख्य लेखाशीर्ष
एम टी एफ आर पी	मध्यकालिक राजकोषीय पुर्नसंरचना नीति
एन डी आर एफ	राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि
एन टी आर	करेतर राजस्व
ओ टी आर	स्वयं का कर राजस्व
पी ए सी	लोक लेखा समिति
पी डी लेखा	वैयक्तिक जमा खाता
पी एस यू	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
आर ई	राजस्व व्यय
आर आर	राजस्व प्राप्तियाँ
एस डी आर एफ	राज्य आपदा अनुक्रिया निधि
एस जी एस टी	राज्य वस्तु एवं सेवा कर
यू सी	उपभोग प्रमाण-पत्र
उदय	उज्जवल डिस्कॉम्स एश्योरेंस योजना